भारतीय रिज़र्व बैंक का आर्थिक पूंजी ढांचा-रूपरेखा की आंतरिक समीक्षा

मई 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक का आर्थिक पूंजी ढांचा-रूपरेखा की आंतरिक समीक्षा

मई 2025

चुनिंदा संक्षिप्ताक्षर और परिभाषा...		**7**
कार्यकारी सारांश..		**12**
1. वर्तमान आर्थिक पूंजी ढांचा..		**18**
2. वैश्विक समष्टि आर्थिक माहौल और और इसका केंद्रीय बैंक के बैलेंस शीट्स (तुलन पत्र) पर प्रभाव...		**21**
I.	वैश्विक समष्टि आर्थिक माहौल और इसका केंद्रीय बैंक के बैलेंस शीट्स (तुलन पत्र) पर प्रभाव...	**21**
II.	केंद्रीय बैंकों की पूंजी पर्याप्तता पर हाल के सामग्री की समीक्षा......................................	**22**
III.	आरबीआई द्वारा बैलेंस शीट (तुलन पत्र) से संबंधित सामना किए गए चुनौतियाँ...का स्केल.................................	**23**
3. **मौजूदा/वर्तमान आर्थिक पूंजी ढांचा की समीक्षा..**		**25**
4. **आर्थिक पूंजी ढांचा की समीक्षा –सिफ़ारिशें...**		**29**
I.	जोखिम मानकीकरण और बाजार जोखिम के लिए प्रावधान...	**30**
II.	क्रेडिट जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए प्रावधान...	**33**
III.	मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता जोखिम के लिए प्रावधान..	**33**
IV.	अधिशेष वितरण नीति (एसडीपी)...	**38**
V.	सिफारिशों सिफ़ारिशें का प्रभाव...	**39**
5. **सिफ़ारिशों का सारांश..**		**41**
संदर्भ...		**44**
बॉक्स 1.1: आरबीआई का ईसीएफ़ – प्रमूख पहलू		**19**

अनुबंध I: अधिशेष वितरण नीति, मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचा और चुनिंदा/ केंद्रीय बैंकों के लेखा परीक्षा मानदंड	**45**
अनुबंध II: केंद्रीय बैंकों की लाभप्रदता और इक्विटी – समष्टि आर्थिक माहौल का प्रभाव	**48**
अनुबंध III: मूल्य रिटर्न से वैरिएंस कोवेरियन्स मैट्रिक्स की गणना करने का कारण	**49**
अनुबंध IV: प्रस्तावित और मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचा के तहत बाजार जोखिम के लिए जोखिम बफर की तुलना।	**50**
अनुबंध V: पिछले पांच वर्षों में जोखिम प्रावधानों और अधिशेष अंतरण पर प्रस्तावित सिफ़ारिशों का प्रभाव।	**52**

आरबीआई के ईसीएफ़ के संदर्भ में चयनित परिभाषा

एडीएफ़	आस्ति विकास निधि	**एफ़सीवीए**	विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्य
एई	विकसित अर्थव्यवस्था	**एफ़ईआर**	विदेशी मुद्रा भंडार
एआरई	उपलब्ध वास्तविक इक्विटि	**जीएफ़सी**	वैश्विक वित्तीय संकट
बीसीबीएस	बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति	**जीओआई**	भारत सरकार
बीआईएस	अंतरराष्ट्रीय निपटान के लिए बैंक	**जी-सेक**	भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ
बीओपी	भुगतान संतुलन	**एचक्यूएलए**	उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां
बीपीएस	आधार अंक	**आईएफ़आरएस**	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक
सीएजीआर	औसत वार्षिक वृद्धि दर	**आईएमएफ़**	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
सीबी	केंद्रीय बैंक	**आईआरए-एफ़एस**	निवेश खाते का पुनर्मूल्यन – विदेशी प्रतिभूतियाँ
सीएफ़	आकस्मिकता निधि	**आईआरए - आरएस**	निवेश खाते का पुनर्मूल्यन – रुपये प्रतिभूतियाँ
सीजीआरए	मुद्रा और सोना का पुनर्मूल्यन	**एलसीआर**	चलनिधि कवरेज अनुपात
सीएल	विश्वास स्तर	**एलओएलआर**	अंतिम ऋणदाता
सीआरबी	आकस्मिकता जोखिम बफर	**एमएमएलआर**	अंतिम ऋणदाता का बाजार निर्माता
ईसी	आर्थिक पूंजी	**एमटीएम**	बाज़ार के लिए चिह्नित
ईसीबी	यूरोपीयन केंद्रीय बैंक	**एनबीएफ़सी**	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी
ईसीएफ़	आर्थिक पूंजी ढांचा	**पीऔर एल**	लाभ और हानी
ईएलए	आपातकालीन तरलता सहायता	**क्यूई**	मात्रात्मक शिथिलता

ईएमडीई उभरती बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ

ईडबल्यूएमए घातीय मुविंग एव्रेज रूप

एक्सपोनेंशियल वेटेज़ मुविंग एवरेज़

ईआरएम एंटरप्राइज़ वाइड रिस्क (उद्यम व्यापी जोखिम)

ईएस अपेक्षित कमी

एफ़सीए विदेशी मुद्रा आस्तियां

आरबीआई भारतीय रिज़र्व बैंक

वीएआर जोखिम मूल्य

आरबीआई के ईसीएफ़ के संदर्भ में चयनित परिभाषा

आर्थिक पूंजी / जोखिम बफर	आरबीआई की जोखिम पूंजी जिसमें इसकी पूंजी, आरक्षित निधि , जोखिम प्रावधान (सीएफ़ और एडीएफ़), और पुनर्मूल्यन जमाशेष (सीजीआरए, आईआरए-आरएस, आईआरए -एफ़एस और एफ़सीवीए) शामिल हैं।
जोखिम प्रावधान /प्राप्त जोखिम प्रावधान	आरबीआई अधिनियम की धारा 47 के अंतर्गत सीएफ़ और एडीएफ़ के लिए किए गए प्रावधान।
प्राप्त इक्विटी / उपलब्ध प्राप्त इक्विटी (एआरई)	आरबीआई की आर्थिक पूंजी के घटक जिनमें इसकी पूंजी, आरक्षित निधि और जोखिम प्रावधान (सीएफ़ और एडीएफ़) शामिल है।
आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी)	आरबीआई के प्राप्त इक्विटी के घटक जो आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी) और बाजार जोखिम बफर में किसी भी कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक है।
पुनर्मूल्यन शेष	अप्राप्त अभिलाभ, कुल हानी, विनिमय दर, सोने की कीमत और ब्याज दर में बदलाव के कारण होता है । इन्हें आरबीआई के बैलेंस शीट में पुनर्मूल्यन खाता के रूप में दर्शाया जाता है।
पूंजी	आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 4 के अनुसार प्रदत्त पूंजी (आरबीआई के वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 में लेखों [XII.6.1] में)
आरक्षित निधि	आरबीआई अधिनियम की धारा 46 के अनुसार ₹5 करोड़ की आरक्षित निधि जो 1990-91 में आरबीआई अधिनियम की धारा 33 (4) में संशोधन के कारण मूल्यांकन लाभ के जरिए पूरा हुआ था। (RBI की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 में लेखों [XII.6.2] में)
आकस्मिकता निधि	अनपेक्षित और अप्रत्याशित आकस्मिकता के लिए प्रावधान, जिसमें प्रतिभूतियों के मूल्य में कमी, मौद्रिक/ विनिमय दर नीति परिचालन संचालन से उत्पन्न जोखिम, प्रणालीगत जोखिम और आरबीआई को दिए गए विशेष जिम्मेदारियों के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी जोखिम शामिल है (आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 में खाते के नोट [XII.6.5ए])
आस्ति विकास निधि	सहायक और उससे जुड़ी संस्था में निवेश के लिए प्रावधान और आंतरिक पूंजी व्यय को पूरा करना (आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 में नोट्स टु अकाउंट [XII.6.5बी])

सीजीआरए	विदेशी मुद्रा आस्तियों और सोने पर अवास्तविक लाभ/हानियाँ, विनिमय दर और सोने के मूल्यों में बदलाव के कारण (आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 में नोट्स टु अकाउंट [XII.6.6ए])
आईआरए- विदेशी प्रतिभूतियाँ	विदेशी दिनांकित प्रतिभूतियों पर दैनिक पुनर्मूल्यांकन के आधार पर अवास्तविक लाभ/हानियाँ (आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 में नोट्स टु अकाउंट [XII.6.6बी])
आईआरए- रूपया प्रतिभूतियाँ	आवधिक पुनर्मूल्यांकन के रूपया प्रतिभूतियों पर अवास्तविक लाभ/हानियाँ (आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 में नोट्स टु अकाउंट [XII.6.6सी])
एफसीवीए	बकाया वायदा संविदा पर अवास्तविक लाभ/हानियाँ
निवल आय	जोखिम प्रावधान से पहले निवल व्यय, सकल आय

ए	कार्यकारी सारांश

1. मौजूदा ईसीएफ (आरबीआई के ईसीएफ की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर 2019 में अपनाया गया) की समीक्षा समिति की इस सिफारिश के मद्देनजर की गई है कि ईसीएफ की हर पांच साल में समीक्षा की जा सकती है।

पिछले 5 वर्षों के दौरान समष्टि आर्थिक माहौल का विहंगावलोकन

2. व्यापक आर्थिक माहौल महामारी, वैश्विक लोन में वृद्धि, लगातार मुद्रास्फीति, केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक सख्ती, वित्तीय बाजारों में अस्थिरता, लंबे समय तक भौगोलिक तनाव और भू-आर्थिक विखंडन के कारण चुनौतीपूर्ण रहा है।

केंद्रीय बैंक की नीति का उनके बैलेंस शीट (बी/एस) पर प्रभाव

3. केंद्रीय बैंकों ने महामारी के प्रतिउत्तर में उदार मौद्रिक नीति अपनाई, जिससे उनके बैलेन्स शीट का आकार बढ़ा और इसके सहवर्ती बैलेंस शीट जोखिमों में वृद्धि हुई, और लगातार महंगाई के चलते आक्रामक और सख्ती भरा रुख अपनाया गया। इसके परिणामस्वरूप कई केंद्रीय बैंकों ने नकारात्मक निवल ब्याज आय रिपोर्ट की है क्योंकि आस्ति-देयता के परिपक्वता में असमानता के कारण पुनः मूल्य निर्धारण जोखिम उत्पन्न हुआ, इसके अलावा उनकी प्रतिभूति पोर्टफोलियो पर मूल्यांकन नुकसान भी सहन किया है, जो एक मजबूत पूंजी स्थिति बनाए रखने की आवश्यकता को उजागर करता है।

मौजूदा ईसीएफ़ की समीक्षा

4. प्रतिकूल व्यापक आर्थिक गतिविधियां और ऊपर उल्लिखित अन्य चुनौतियों के बावजूद, बैंक की विवेकसम्मत लेखा नीतियों[1] और ईसीएफ ने आरबीआई की वित्तीय सुदृढ़ता को बढ़ाया है , साथ ही सरकार को बेहतर अधिशेष का अंतरण सुनिश्चित किया है, वहीं इसी समय कई केंद्रीय बैंकों ने निवल नुकसान रिपोर्ट किया है जिससे उनकी ईक्विटी और निलंबित अधिशेष अंतरण में कमी आई । साथ ही, नियम-आधारित लगातार कार्यान्वयन, सार्वजनिक तौर पर प्रकट ईसीएफ ने हितधारकों का आत्मविश्वास

[1] तुलन पत्र में पुनर्मूल्यन खाता के रूप में निवल वैल्यूएशन लाभ/हानियों का समावेश करना बजाय इन्हें आय विवरण में शामिल करने के, और वार्षिक खातों के अंतिमकरण के दौरान निवल अप्राप्त हानियों को पुनर्मूल्यन खाता पर चार्ज करना।

बनाने में और बैंक की वित्तीय प्रत्यास्थता/आघात सहनीयता बनाए रखने की प्रतिबद्धता में भरोसा बढ़ाने में मदद की है।

प्रस्तावित सिफ़ारिशों का सारांश

5. जबकि ईसीएफ़ ने अपने लक्ष्यों को व्यापक रूप से पूरा किया है, भले ही बाहरी गतिविधियां प्रतिकूल रही हों, समीक्षा प्रस्ताव करती हैं कि मौजूदा ईसीएफ़ के मुख्य सिद्धान्त निरंतर बनी रहे, और जोखिम मूल्यांकन की पद्धतियों में कोई बड़े बदलाव की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, समीक्षा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार को अधिशेष का अंतरण उस स्थिरता के साथ नहीं हुई जैसे की अपेक्षा की गई थी। साथ ही, कुछ जोखिम स्रोत जो वर्तमान ढांचे में शामिल नहीं किए गए थे क्योंकि वे महत्वपूर्ण नहीं थे, अब महत्वपूर्ण प्रतीत हो रहे हैं और उन्हें शामिल करने की आवश्यकता है।

तदनुसार, समीक्षा की प्रमुख सिफ़ारिशें नीचे दी गयी है –

बाज़ार जोखिम

6. बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता के आकलन पर प्रमुख सिफ़ारिशें नीचे दी गयी हैं:

(i) जबकि बाजार जोखिम के लिए आर्थिक पूंजी की अपेक्षाएं को तनावपूर्ण परिस्थितियों में अपेक्षित कमी (ईएस) का उपयोग करके आँका जा सकता है, यह प्रस्ताव किया गया है कि केंद्रीय बोर्ड को ईएस के 99.5% विश्वास स्तर (सीएल) और 97.5% सीएल के दायरे के भीतर किसी भी वांछित प्रत्यास्थता/आघातसहनीयता के स्तर पर बाजार जोखिम बफर बनाए रखने की सुविधा होगी[2]।

(ii) बाजार जोखिम बफर अपेक्षाओं की गणना करते समय एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है, जिसमें ऑन- बैलेंस शीट पोर्टफोलियो के साथ ऑफ-बैलेंस शीट पोर्टफोलियो को भी शामिल किया जा सकता है।

(iii) बाजार जोखिम बफर्स की अपेक्षाओं में छोटी मुद्राओं में विदेशी मुद्रा आस्ति (एफसीए) शामिल है।

(iv) अपेक्षित कमी का उपयोग करते हुए मार्केट रिस्क बफर अपेक्षाओं की गणना करते समय, मूल्य रिटर्न के वैरिएंस-कोवेरियंस (वीसी) मैट्रिक्स की प्रतिफल रिटर्न के वीसी मैट्रिक्स के परिवर्तन के माध्यम से गणना करने के स्थान पर सीधे गणना की जा सकती है।

क्रेडिट जोखिम और परिचालन जोखिम

[2] वर्तमान ईसीएफ़ के तहत, अतिरिक्त जोखिम प्रावधान केवल तब स्वीकार्य है जब पुनर्मूल्यांकन शेष ईएस 97.5% सीएल से कम हों।

7. क्रेडिट जोखिम (ओएफ़बीएस एक्सपोजर के कारण भी शामिल) और परिचालन जोखिम के लिए आर्थिक पूंजी को पहले की तरह बनाए रखा जा सकता है।

मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता जोखिम

8. वर्तमान में, बफर को केंद्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित सुदृढ़ता स्तर तक बनाए रखा जाता है, जो बैलेंस शीट के 4.5% - 5.5% सीमा पर है।

9. इस संदर्भ में, जबकि वैश्विक समष्टि अर्थव्यवस्था परिवेश और भू-राजनीतिक विकासों से उत्पन्न चुनौतियाँ बैंक के अधिदेश को विश्वसनीयता से पूरा करने के लिए प्राप्त इक्विटी के एक अनुकूल स्तर को बनाए रखने की आवश्यकता को बढ़ाता है, महामारी और इसके परिणाम के बावजूद हाल के वर्षों में बैंक द्वारा प्रदर्शित स्थिरता, बैंक की मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता को सुदृढ़ करती है।

10. इसके अलावा, मौजूदा ईसीएफ के कार्यान्वयन अवधि में सरकार को अधिशेष हस्तांतरण में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, जैसा कि कोएफीसीएंट ऑफ वेरियन्स (सीवी) 63.30 प्रतिशत[3] द्वारा दर्शाया गया है। यह देखा गया है कि मौजूदा 1.0 प्रतिशत की सीमा केंद्रीय बोर्ड द्वारा सरकार को अधिशेष के हस्तांतरण को सुगम बनाने के लिए बहुत सीमित लचीलापन प्रदान करती है।

11. उपरोक्त के मद्देनजर, यह प्रस्ताव दिया गया था कि मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता के जोखिमों के लिए बफर आवश्यकताओं की सीमा को 5.0 ± 1.5 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए , जिसका उद्देश्य उपलब्ध मौजूदा समष्टि आर्थिक घटनाएँ और अन्य कारकों पर विचार करते हुए केंद्रीय बोर्ड को बफर निर्धारण करने के लिए एवं सरकार को अधिशेष हस्तांतरण को सुगम करने के लिए पर्याप्त लचीलापन प्रदान किया जाना है।

प्राप्त इक्विटि की अपेक्षा

12. आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी) , जिसमें मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता जोखिम, ऋण जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए बफर शामिल हैं, को बैलेंस शीट आकार के 6.0 ± 1.5% की सीमा में बनाए रखा जाएगा (मौजूदा ईसीएफ़ के तहत 6.5% के मौजूदा स्तर की तुलना में , 5.5% की न्यूनतम

[3] कोएफीसीएंट ऑफ वेरियन्स(सीवी), जिसकी गणना   मानक विचलन / औसत के रूप में की जाती है। यह औसत के पास डाटा बिन्दुओं के प्रसार का सांख्यिकीय माप है। यह मौजूदा ईसीएफ़ को अपनाने से पहले के छह वर्षों में 30.84 प्रतिशत था।

सीमा के साथ)। प्राप्त इक्विटी (आरआरई), में सीआरबी और में पुनर्मूल्यांकन शेष शॉर्टफॉल शामिल होगा इसके साथ ही केंद्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित स्तर पर मार्केट रिस्क बफर की अपेक्षा भी शामिल है।

अधिशेष वितरण नीति (एसडीपी)

13. अधिशेष वितरण नीति (एसडीपी) में पुनर्मूल्यांकन शेष को वितरित करने योग्य नहीं मान सकते, हालांकि रिज़र्व बैंक की वित्तीय आघात सहनीयता (resilience) को अपेक्षित स्तर तक प्राथमिकता दी जा सकती है, जबकि शेष निवल आय सरकार को हस्तांतरित करने के लिए उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा, यदि उपलब्ध प्राप्त इक्विटी (एआरई) के मामले में लागू खंड आरआरई के न्यूनतम स्तर से कम हो , तो उस स्थिति में इसे व्यापक बनाया गया है, जिसमें आरबीआई द्वारा एआरई को 'कम से कम' इसकी न्यूनतम सीमा तक रखने के लिए उचित जोखिम प्रावधान किया जा सकता है। इस खंड को इस प्रकार विस्तारित किया गया है कि यदि निवल आय एआरई को उसके निम्न सीमा तक रखने के लिए अपर्याप्त है, तो कोई अधिशेष हस्तांतरित नहीं किया जाएगा (भविष्य के वर्षों में भी) जब तक कि कम से कम निम्न सीमा प्राप्त नहीं हो जाती। अतिरिक्त प्राप्त इक्विटि अर्थात आरआरई से अधिक एआरई वार्षिक खातों को अंतिम रूप देते समय आकस्मिकता निधि से आय में वापस लिखी जाएगी। ।

सिफ़ारिशों का प्रभाव

14. 31 मार्च 2025की स्थिति के लिए मौजूदा और संशोधित ईसीएफ के तहत जोखिम प्रावधानों का विश्लेषण, तुलन पत्र के प्रस्तावित 5.0 ± 1.5 प्रतिशत के सीमा के भीतर मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता के जोखिमों के लिए बफर को ध्यान में रखते हुए, नीचे दी गई सारणी क में दिया गया है:

सारणी ए: मौजूदा और संशोधित ईसीएफ़ के तहत ईसी की अपेक्षा – 31 मार्च 2025- तुलन पत्र के प्रतिशत (करोड़ रुपए में)							
क्र. सं	जोखिम प्रकार	पैमाना	ईसी की अपेक्षा		उपलब्ध ईसी	जोखिम प्रावधान	
			मौजूदा	प्रस्तावित		मौजूदा	प्रस्तावित
Ia.	बाज़ार जोखिम (तुलन पत्र की मद पर)	99.5% CL	17.86%	18.91%	17.40% (RB)		
		97.5% CL	14.44%	15.29%			
Ib.	बाज़ार जोखिम (ओएफ़बीएस)	99.5% CL	NA	-2.19%			
		97.5% CL	NA	-1.77%			
I. (Ia+Ib)	बाज़ार जोखिम (कुल)	99.5% CL	17.86%	16.72%		NA	0%
		97.5% CL	14.44%	13.51%		0%	0%

II.	क्रेडिट और परिचालनात्मक जोखिम	मौजूदा	1%	1%	6.91% (RE)		
III.	मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता जोखिम	ऊपरी सीमा	5.5%	6.5%			
		निम्न सीमा	4.5%	3.5%			
IV. (II+III)	कुल गैर -वैल्यूशन जोखिम	ऊपरी सीमा	6.5%	7.5%		(-) 0.41% ₹ (-) 31,393	0.59% ₹ 44,862
		निम्न सीमा	5.5%	4.5%		(-) 1.41% ₹ (-) 1,07,647	(-) 2.41% ₹ (-) 1,83,901

15. प्रस्तावित सिफ़ारिशों का जोखिम प्रावधान और पिछले वर्षों में स्थानांतरित किए जाने वाले अधिशेष पर प्रभाव नीचे सारणी ख बी में प्रस्तुत किया गया है। इसमें मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता जोखिमों के लिए बनाए गए बफर को 5.0 ± 1.5 प्रतिशत के प्रस्तावित सीमा के भीतर रखने पर भी विचार किया गया है।

सारणी बी: जोखिम प्रावधान के लिए प्रस्तावित सिफ़ारिशों का प्रभाव						
	जून 2020 Jun 2020	**मार्च 2021 Mar 2021**	**मार्च 2022 Mar 2022**	**मार्च 2023 Mar 2023**	**मार्च 2024 Mar 2024**	**मार्च 2025 Mar 2025[4]**
बी/एस आकार	53,34,793	57,07,669	61,90,302	63,44,756	70,47,703	76,25,422
स्तर जिसपर प्राप्त इक्विटि अनुरक्षित की गयी	5.50%	5.50%	5.50%	6.00%	6.50%	-
जोखिम प्रावधान	73,615	20,710	1,14,667	1,30,876	42,820	-
अधिशेष हस्तांतरण	57,128	99,122	30,307	87,416	2,10,874	-
प्रस्तावित ढांचा के अनुसार घटक-वार अतिरिक्त जोखिम प्रावधान*						
सीआरबी – प्रस्तावित उच्च स्तर (7.5%)	1,06,696	1,14,153	1,23,806	95,171	70,477	44,862
सीआरबी – प्रस्तावित निम्न स्तर (4.5%)	(-) 53,348	(-) 57,077	(-) 61,903	(-) 95,171	(-) 1,40,954	(-) 1,83,901
बाजार जोखिम ईएस 97.5% सीएल	0	72,296	1,03,886	0	0	0
बाजार जोखिम ईएस 99.5% सीएल	0	3,08,563	3,50,032	1,09,174	2,07,352	0

[4] 31 मार्च 2025 के लिए अतिरिक्त जोखिम प्रावधान, जोखिम प्रावधान से पूर्व एआरई को ध्यान में रखते हुए अनुमानित (6.91%)

वैश्विक बाजार जोखिम सहनशीलता के तहत संचयी अतिरिक्त जोखिम प्रावधान ES 97.5%* पर विचार करते हुए						
सीआरबी – प्रस्तावित उच्च स्तर	1,06,696	1,86,449	2,27,692	95,171	70,477	44,862
सीआरबी – प्रस्तावित निम्न स्तर	(-) 53,348	15,219	41,983	(-) 95,171	(-) 1,40,954	(-) 1,83,901
वैश्विक बाजार जोखिम सहनशीलता के तहत संचयी अतिरिक्त जोखिम प्रावधान ES 99.5%* पर विचार करते हुए						
सीआरबी – प्रस्तावित उच्च स्तर	1,06,696	4,22,716	4,73,838	2,04,345	2,77,830	44,862
सीआरबी – प्रस्तावित निम्न स्तर	(-) 53,348	2,51,486	2,88,129	14,002	66,398	(-) 1,83,901

1 मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचा

1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 अगस्त 2019 को आरबीआई केंद्रीय बोर्ड की 578 वीं बैठक में 'भारतीय रिज़र्व बैंक में मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचा की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञ समिति ' (अध्यक्ष: डॉ बिमल जालान) की सिफ़ारिशों के अनुमोदन और स्वीकृति के आधार पर वर्तमान आर्थिक पूंजी ढांचा (ईसीएफ) को अगस्त 2019 में अपनाया। आरबीआई अधिनियम के अनुभाग 47[5] के तहत वैधानिक अधिदेश, आरबीआई की संवैधानिक अधिदेश, साथ ही अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए, ईसीएफ़ को परिभाषित करता है कि यह जोखिम-आधारित आर्थिक पूंजी मानक है जो जोखिम मूल्यांकन पद्धतियों, जोखिम प्रावधान और अधिशेष वितरण पर मार्गदर्शन प्रदान करता है।

1.2 विशेषज्ञ समिति ने सिफ़ारिश की है कि ढांचे को हर पांच साल की अवधि में समीक्षा की जानी चाहिए (पैरा 4.98)। तदनुसार, ढांचे की समीक्षा की गई है। आगे, वर्तमान ईसीएफ के अंतर्निहित मार्गदर्शक सिद्धांतों और इसके प्रमुख पहलुओं को रेखांकित किया गया है।

मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचा

1.3 आरबीआई का मौजूदा ईसीएफ इस सिद्धांत द्वारा मार्गदर्शित है कि सरकार और आरबीआई के उद्देश्यों का संरेखण महत्वपूर्ण है। चूंकि केंद्रीय बैंक सरकार का भाग है, आरबीआई की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना सरकार के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना आरबीआई के लिए। ईसीएफ इस तथ्य को भी स्वीकार करता है कि सार्वजनिक नीति संस्थान होने के नाते, आरबीआई का ध्यान अपनी नीति कार्यों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने पर है, भले ही ऐसे कार्यों से बैलेंस शीट में जोखिम स्वीकार किए जा सकते हैं। मौद्रिक, वित्तीय और बाह्य स्थिरता के लिए प्राथमिक रक्षा का कार्य करते हुए, आरबीआई की वित्तीय सुदृढ़ता उसे दिए गए संवैधानिक दायित्वों के अनुरूप होना चाहिए, आरबीआई को घाटे में चलने वाली नीतिगत कार्रवाइयां करने के लिए वित्तीय साधन के रूप में देखा जाता है, जिससे उनकी विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है।

[5] **अनुभाग 47:** अशोध्य और संदिग्ध कर्ज़,संपत्तियों में मूल्यह्रास, कर्मचारियों और सुपरएन्यूएशन फंडों में योगदान और इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत किए जाने वाले सभी अन्य मामलों के लिए प्रावधान करने के बाद, या जिनका सामान्यतः बैंकरों द्वारा प्रावधान किया जाता है, लाभ का शेष भाग केंद्रीय सरकार को भुगतान किया जाएगा।

बॉक्स 1.1 मौजूदा ईसीएफ के प्रमुख पहलुओं को रेखांकित करता है।

बॉक्स 1.1: आरबीआई का ईसीएफ़ – महत्वपूर्ण पहलू

ईसीएफ उद्यम व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचे का एक अभिन्न अंग है जो 2012 से बैंक में लागू किया जा रहा है। ईसीएफ आरबीआई के जोखिम सहिष्णुता से संबन्धित है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि वित्तीय जोखिम पर विचार बैंक के सार्वजनिक नीति के उद्देश्यों के अधीन हैं, जिसमें किसी भी संभाव्य घटना के घटित होने के जोखिम के लिए आर्थिक पूंजी के रूप में पर्याप्त प्रावधान करने की आवश्यकता है। ढांचा यह भी स्वीकार करता है कि जोखिमों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में असफलता आरबीआई के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

ईसीएफ़ के तहत जोखिमों का आकलन

आरबीआई के समक्ष सभी प्रकार के जोखिमों के लिए, ईसीएफ बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम, परिचालन जोखिम, मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता जोखिम हेतु विवेकपूर्ण आर्थिक पूंजी के स्तर को निर्धारित करता है, जिन्हें निम्नलिखित तरीकों के अनुसार आंका जाता है।

(I) बाज़ार जोखिम के लिए आर्थिक पूंजी कि अपेक्षा को तनावग्रस्त परिस्थितियों में अपेक्षित कमी (ईएस) से आकलन किया जाता है , जिसमें लक्षित सुदृढ़ता स्तर और जोखिम सहनीयता स्तर क्रमश: 99.5 % विश्वास स्तर (सीएल) और ईएस 97.5% सीएल पर है।

(ii) मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता जोखिमों के प्रावधान को परिदृश्य विश्लेषण पर आधारित किया गया है, और इसे बैलेंस शीट के आकार का 4.5 प्रतिशत से 5.5 प्रतिशत के बीच बताया गया है।.

(iii) ऋण जोखिम (ऑफ बैलेंस शीट एक्स्पोज़र) और परिचालन जोखिम के लिए प्रावधान तुलन पत्र आकार के 1 प्रतिशत के अंतर्निहित स्तर पर किया जाएगा।

ईसीएफ के तहत आर्थिक पूंजी के घटक

ईसीएफ़ के तहत प्राप्त इक्विटि और पुनर्मूल्यन जमाशेष आर्थिक पूंजी के दो घटक हैं, जिसमें पहले

में बड़े पैमाने पर प्राप्त जोखिम प्रावधान है और दूसरे में विदेशी मुद्रा, सोना, राष्ट्रीय मूल्यों और अनुबंधों में परिसंपत्तियों के आवधिक मूल्यांकन (एमटीएम) से उत्पन्न निवल मूल्य निर्धारण लाभ/ हानी है।

• प्राप्त इक्विटी में आरबीआई की पूंजी, आरक्षित निधि, आकस्मिकता निधि (CF) और संपत्ति विकास निधि (ADF) शामिल हैं।

• पुनर्मूल्यन जमाशेष में मुद्रा और सोना का पुनर्मूल्यन (सीजीआरए) निवेश खाते का पुनर्मूल्यन – विदेशी प्रतिभूतियाँ (आईआरए-एफ़एस) निवेश खाते का पुनर्मूल्यन – रुपये प्रतिभूतियाँ (आईआरए-आरएस) विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यांकन खाता (एफ़सीवीए) शामिल है।

जोखिम बफर का जोखिम एक्सपोज़र पर अनुप्रयोग

सीएफ एकतरफा विनियमशीलता के सिद्धांत को स्थापित करता है जहाँ, पुनर्मूल्यन जमाशेष केवल बाजार जोखिम के लिए प्रदान कर सकते हैं, जबकि प्राप्त इक्विटि न केवल मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता जोखिम, क्रेडिट जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए प्रदान कर सकती है, बल्कि पुनर्मूल्यन जमाशेष में कमी के मामले में अवशिष्ट बाजार जोखिम के लिए भी प्रदान कर सकती है, जिसे ईएस 97.5 प्रतिशत सीएल (तनावग्रस्त स्थितियों) का उपयोग करके आंका गया है।

प्राप्त इक्विटी (आरआरई) और अधिशेष वितरण नीति की आवश्यकता

• पुनर्मूल्यन जमाशेष , जो अप्राप्त लाभ है, वितरित नहीं किए जा सकते।

• प्राप्त इक्विटी (आरआरई) को बैलेंस शीट के 6.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जिसकी न्यूनतम सीमा 5.5 प्रतिशत है, साथ ही आरटीएल आवश्यकता की तुलना में पुनर्मूल्यन जमाशेष की कमी के साथ।

• उपलब्ध प्राप्त इक्विटी (एआरई) की तुलना आरआरई से की जानी चाहिए, और केंद्रीय बोर्ड द्वारा तय की गई सुदृढ़ता के स्तर तक एआरई बढ़ाने के लिए जोखिम प्रावधान पहले किया जाना चाहिए, शेष निवल आय सरकार को अंतरित की जानी चाहिए।

2 वैश्विक समष्टि आर्थिक परिस्थिति और इसका केंद्रीय बैंक के बैलेंस शीट्स (तुलन पत्र) पर प्रभाव

2.1 ईसीएफ का विश्लेषण और इसका आरबीआई के बैलेंस शीट पर प्रभाव को उस व्यापक समष्टि आर्थिक परिस्थिति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिसमें आरबीआई ने पिछले पांच वर्षों में कार्य किया है। इसके बाद के खंड वैश्विक समष्टि आर्थिक माहौल और केंद्रीय बैंक के बैलेंस शीट्स (तुलन पत्र) और लाभ पर इसके प्रभाव का संक्षिप्त विहंगालोकन प्रदान करता है ।

I. वैश्विक समष्टि आर्थिक परिस्थिति और इसका केंद्रीय बैंक के बैलेंस शीट्स (तुलन पत्र) पर प्रभाव

2.2 पिछले पांच वर्षों ने वैश्विक और घरेलू स्तर पर अत्यंत चुनौतीपूर्ण समष्टि आर्थिक परिस्थिति का अनुभव किया है। यह अवधि कई तनावपूर्ण घटनाओं द्वारा चिह्नित की गयी है, जैसे कि सदी में एक बार आने वाली महामारी के कारण अर्थव्यवस्था और कुल उत्पादन में व्यापक विघटन, महामारी-काल की उदार मौद्रिक नीतियों के कारण वैश्विक सार्वजनिक ऋण का बढ़ना, आपूर्ति शृंखला के विघटन के परिणामस्वरूप बढ़ती हुई मुद्रास्फीति, वित्तीय बाजारों में अभूतपूर्व अस्थिरता के बीच आस्ति का मूल्य निर्धारण जो लंबे समय तक भू-राजनीतिक तनाव और भू-अर्थशास्त्रीय विखंडन के प्रभाव से खराब हुई है।

2.3 केंद्रीय बैंकों ने कोविड -19 महामारी की प्रतिक्रिया में उदार मौद्रिक नीतियाँ अपनाई, जिसके परिणामस्वरूप उनके बैलेंस शीट में असाधारण विस्तार हुआ (जो बैलेंस शीट जोखिमों में समानांतर वृद्धि के साथ आया), तत्पश्चात लगातार बढ़ती महंगाई के समक्ष आक्रामक और मौद्रिक नीतियों में सख्ती बरती गयी।

2.4 पिछले कुछ वर्षों में कई केंद्रीय बैंकों ने अभूतपूर्व स्तर पर नुकसान की रिपोर्ट की है , जो मुख्य रूप से ब्याज दर जोखिम के दोहरे पहलू घटित होने के कारण हुआ है। पहला, उन्नत अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंकों ने वित्तीय प्रणाली में पर्याप्त तरलता बनाए रखने और मौद्रिक नीति के संचालन को सुगम करने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक स्तर पर नरमी बरतने हेतु बड़े पैमाने पर प्रतिभूतियों की खरीद की। इन दीर्घावधि निश्चित कूपन संपत्तियों की खरीद को अल्पकालिक आरक्षित के निर्माण के द्वारा वित्त पोषित किया गया, जिससे संपत्ति और देनदारियों के बीच परिपक्वता का असंतुलन उत्पन्न हुआ, जो पुनर्मूल्यांकन

जोखिम के प्रति संवेदनशील था। जैसे-जैसे केंद्रीय बैंकों द्वारा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाने के लिए मौद्रिक नीति में सख्ती बरती गयी , ब्याज व्यय में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी ने निवल ब्याज मार्जिन को घटा दिया, जिसके परिणामस्वरूप निवल आय[6][7] नकारात्मक हुई। दूसरी बात, उचित मूल्य लेखांकन वाले केंद्रीय बैंकों को भी अपने घरेलू और विदेशी प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो पर मूल्यांकन हानि का सामना करना पड़ा, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ गईं। इन मूल्यांकन नुकसानों का केंद्रीय बैंकों के लाभप्रदता पर प्रभाव आईएफ़आरएस 9 लेखा मानकों का पालन करने वाले केंद्रीय बैंकों के मामले में अधिक स्पष्ट था, जहाँ मूल्यांकन लाभ/हानियाँ बैलेन्स शीट (तुलन पत्र) के स्थान पर लाभ और हानि[8] में दर्ज की जाए (जैसा कि आरबीआई का चलन है)।

2.5 आर्थिक पूंजी ढांचा साथ ही कुछ केंद्रीय बैंकों की अधिशेष वितरण नीति, **अनुबंध I** में प्रस्तुत की गई है। केंद्रीय बैंकों की लाभप्रदता और इक्विटि पर समष्टि आर्थिक परिस्थिति के प्रभाव का आकलन **अनुबंध II** में प्रस्तुत किया गया है।

II. केंद्रीय बैंकों की पूंजी पर्याप्तता पर हाल के साहित्य की समीक्षा

साहित्य का अवलोकन सुझाव देता है कि केंद्रीय बैंक की पूंजी की भूमिका पर विभिन्न दृष्टिकोण मौजूद हैं, जिसमें पर्याप्त पूंजी इस पर केंद्रित है कि केंद्रीय बैंक अपनी घरेलू परिचालनों को अपने निवल मूल्य की परवाह किए बिना कर सकते हैं , क्योंकि उन्हें देनदारियां जारी करनी है, ('पैसा छापना), और यह तथ्य कि चूंकि केंद्रीय बैंक सरकार का हिस्सा हैं, इसलिए व्यापक सरकारी बैलेंस शीट अधिक महत्वपूर्ण है (आनंद एट अल)। कुछ लेखकों ने तर्क दिया है कि केंद्रीय बैंक के बैलेंस शीट और वित्तीय सुदृढ़ता का महंगाई (बेनेका और अन्य) या अंतिम ऋणदाता (एलओएलआर) और अंतिम ऋणदाता के मार्केट मेकर (एमएमएलआर) के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने की क्षमता के साथ जरूरी तौर पर कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है (बुईटर और अन्य) हालांकि, पर्याप्त पूंजी के विरुद्ध मामला में कुछ सीमाएं हैं (जमिए लॉन्ग और अन्य) जैसे कि घरेलू मुद्रा में देनदारियों को पूरा करने के लिए पैसे छापने का संभावित मुद्रास्फीति पर प्रभाव, नीति विकल्पों की स्पष्ट या अप्रत्यक्ष सीमाएं, नीति की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता

---

[6] आरबीआई के मामले में, बैंक की घरेलू परिसंपत्तियों पर ब्याज आय हाल के वर्षों में चलनिधि समायोजन क्रियाओं के कारण निवल ब्याज भुगतान से काफी अधिक रही है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू स्रोतों से महत्वपूर्ण सकारात्मक ब्याज आय हुई है। इसके अलावा, विदेशी स्रोतों से ब्याज आय में भी महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है क्योंकि कम कूपन वाली विदेशी प्रतिभूतियों/जमा को क्रमशः उच्च कूपन वाली प्रतिभूतियों के साथ प्रतिस्थापित किया गया है।

7 प्रमुख केंद्रीय बैंकों के उदाहरणों में फेडरल रिजर्व, यूरोपीय केंद्रीय बैंक, जर्मन बंडेसबैंक, फ्रांस का बैंक, स्विस राष्ट्रीय बैंक, कनाडा का बैंक और ऑस्ट्रेलिया का रिजर्व बैंक (आरबीए) शामिल हैं।

8 आरबीए, रूस का केंद्रीय बैंक, चेक राष्ट्रीय बैंक, सिंगापुर का मौद्रिक प्राधिकरण, और न्यूजीलैंड का रिज़र्व बैंक कुछ प्रमुख केंद्रीय बैंकों में शामिल हैं जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में निवल मूल्य निर्धारण नुकसान के कारण नुकसान दर्ज किया है।

के प्रति बाजार प्रतिभागियों की प्रतिकूल धारणा, और पुनर्पूंजीकरण की स्थिति में सार्वजनिक वित्त और केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता पर तनाव। इसके अलावा, एक विशाल मात्रा में साहित्य इस बात के लिए एक मजबूत तर्क प्रस्तुत करता है कि पर्याप्त पूंजी आधार वाले केंद्रीय बैंक अपनी नीतियों को बेहतर ढंग से लागू करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि वित्तीय सुदृढ़ता केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता का समर्थन करती है, विशेष रूप से बाजार को यह संकेत देने में कि वे संकट के समय तीव्रता से और बिना किसी रोकटोक के कार्रवाई करने के लिए तैयार और सक्षम हैं। इसके अलावा, यह दृष्टिकोण है कि केंद्रीय बैंक, जो विवेकपूर्ण नियामक भी होते हैं और वाणिज्यिक बैंकों की पूंजी आवश्यकताओं की निगरानी करते हैं, वे ऐसा करने में बेहतर स्थिति में होंगे यदि उनकी संस्था वित्तीय तौर पर सुदृढ़ हो।

2.7 केंद्रीय बैंक स्वतंत्रता सूचकांक के विकास के लिए आईएमएफ़ द्वारा 87 केंद्रीय बैंकों का केंद्रीय सर्वेक्षण किया गया जिसमें वित्तीय स्वतंत्रता, अन्य बातों के साथ -साथ आरक्षित निधि की उपलब्धता, सरकार को वितरण को नियंत्रित करने की क्षमता और निवल आय से अप्राप्त लाभों को बाहर करने की क्षमता को शामिल किया गया है (तोबियास एड्रियान एट अल.)। वास्तव में, विकसित अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों (क्लास कट एट अल.) रिज़र्व करेंसी के जारीकर्ता और बाहरी प्रभावों से कम जोखिम प्राप्त करने के बावजूद भी पर्याप्त पूंजी अनुरक्षित करने और 'सुदृढ़ता कायम रखने, अनपेक्षित हानी को समाहित करना , उभरते जोखिम का अनुकूलन, और प्रभावपूर्ण तरीके से अधिदेश पूरा करना , चुनौतीपूर्ण आर्थिक माहौल में भी ' और इसके साथ ही ' केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता में सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने' भी अनुरक्षित किया जाए। इसके साथ यह भी नोट किया जाए कि पूंजी की पर्याप्तता 'क्षेत्राधिकार-विशिष्ट परिस्थितियों' को ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि केंद्रीय बैंकों को व्यापक अधिदेश, परिचालन और आकार दिया गया है , यह दृष्टिकोण जिसे ईसीएफ़ द्वारा भी स्वीकृत किया गया है।

III. आरबीआई के समक्ष बैलेंस शीट (तुलन पत्र) से संबंधित चुनौतियाँ

2.8 कोविड-19 महामारी के दौरान, वित्तीय बाजारों में व्यवस्था सुनिश्चित करने और मौद्रिक स्थिरता के प्रसारण के लिए आरबीआई द्वारा अपनाई गई नीति टूलकिट ने विशेष चलनिधि सुविधाओं जैसे उपायों को अपनाया, ताकि म्यूचुअल फंडों पर पुनर्खरीद का दबाव कम हो सके और लंबी अवधि का ऋण, जिसमें लक्षित ऋण देना भी शामिल था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि छोटी और मध्य आकार की कंपनियों, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पर्याप्त तरलता उपलब्ध की जाए।

2.9 आरबीआई द्वारा विस्तारित तरलता तथा विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि पर सीजीआरए में वृद्धि (सुदृढ़ पूंजी प्रवाह और क्रॉस करेंसी लेनदेन के कारण) तथा रुपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप, आरबीआई

की (बैलेंस शीट) में वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 30.02% की वृद्धि हुई तथा 30 जून, 2019 से 31 मार्च, 2021 की अवधि में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 20.76% रही। उक्त वृद्धि दर पिछले 10 वर्षों की तुलना में (11.29% सीएजीआर) तथा वर्ष 2018-19 में विशेषज्ञ समिति द्वारा परिकल्पित दर से काफी अधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप निवल आय से वास्तविक जोखिम प्रावधान में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021-2023 के दौरान विदेशी और घरेलू प्रतिभूतियों में ब्याज दरों में आई कठोरता के कारण आईआरए (आईआरए) खातों के शेष में लगभग ₹3.32 लाख करोड़ की गिरावट आई, जो (31 मार्च 2023 को आरबीआई की (बैलेंस शीट) के 5.24% के बराबर है।) इस अवधि के दौरान विनिमय दर जोखिम भी सामने आया, जिसके परिणामस्वरूप सीजीआरए में भी कमी देखी गई, जिसका एक कारण यूरो और पाउंड स्टर्लिंग के सापेक्ष रुपये की मूल्य वृद्धि भी थी। पिछले पांच वर्षों की अवधि में बाजार जोखिम कारकों में हुए परिवर्तन को चार्ट 1 में दर्शाया गया है।

Chart 1: Movement in risk factors (zero yields and exchange rates)

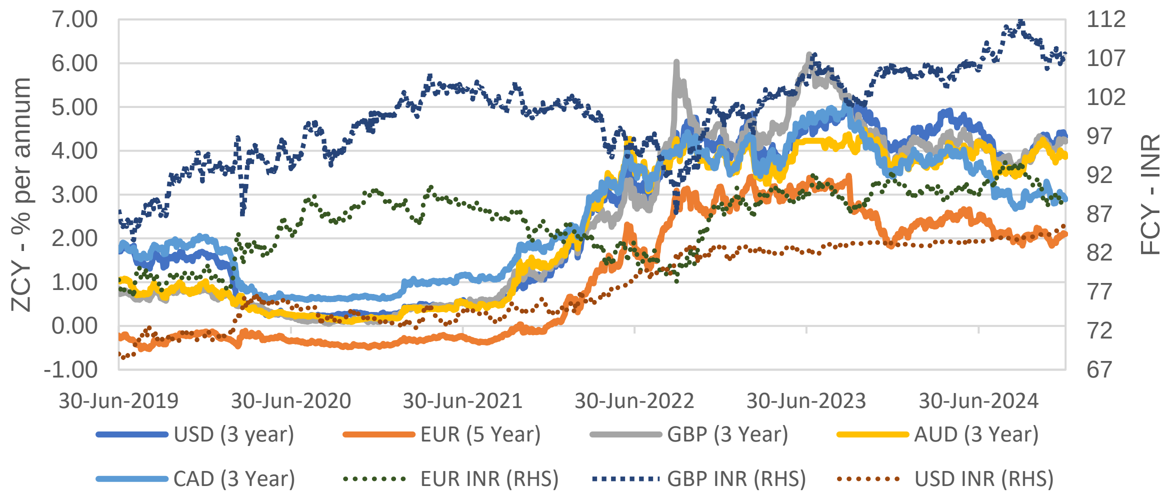

3	मौजूदा आर्थिक पूंजी रूपरेखा की समीक्षा

3.1 समीक्षा अवधि के दौरान आए नकारात्मक समष्टि आर्थिक विकास और जोखिम कारकों में आई परिवर्तन के बावजूद, विवेकपूर्ण लेखांकन नीतियों, प्रावधान आवश्यकताओं से संबंधित आर्थिक पूंजी ढांचा (ईसीएफ़) दिशानिर्देशों तथा नियम-आधारित अधिशेष वितरण नीति के संयोजन ने यह सुनिश्चित किया है कि आरबीआई की निवल आय और आर्थिक पूंजी का स्तर सुदृढ़ बना हुआ है।

(i) निवल मूल्य निर्धारण (अप्राप्त) लाभ/हानि को बैलेंस शीट में पुनर्मूल्यांकन खातों के अंतर्गत दर्ज किया जाता है और इसे आय विवरण में शामिल नहीं किया जाता, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आरबीआई की निवल आय उतार-चढ़ाव अस्थिरता के अधीन न रहे।

(ii) पुनर्मूल्यांकन खातों में निवल अप्राप्त हानि को वार्षिक लेखे के अंतिमकरण की तारीख को आकस्मिकता निधि (सीएफ़) में वहन कर दिया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि इन हानियों के लिए पूरा प्रावधान किया गया है।

(iii) निवल आय का उपयोग सबसे पहले जोखिम प्रावधान के लिए किया जाता है ताकि प्राप्त इक्विटि को केंद्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित लचीलापन स्तर तक बढ़ाया जा सके, तथा केवल शेष निवल आय सरकार को अंतरित की जाती है। इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि आरबीआई की आर्थिक पूंजी सुदृढ़ बनी रहे और उसकी बैलेंस शीट जोखिमों के प्रति लचीली बनी है।

3.2 ईसीएफ़ की सुदृढ़ता इस बात से साबित होती है कि आरबीआई ने न केवल अपनी वित्तीय लचीलापन बनाए रखा है, बल्कि उसे बढ़ा भी पाया है वह भी उस दौरान जब कई केंद्रीय बैंकों ने निवल हानि दर्ज की और कुछ के पास से पूंजी पूरी तरह समाप्त हो गई थी। इसके अलावा, आरबीआई ने सरकार को अधिशेष के बेहतर अंतरण की भी सुनिश्चित किया है, जो कई अन्य केंद्रीय बैंकों के मामले में नहीं है, जहां उन्हें अपनी सरकारों को अधिशेष अंतरित करना बंद करना पड़ा है। कई केंद्रीय बैंकों ने यह परिकल्पना की है कि आने वाले वर्षों में वे अपनी सरकारों को कोई अधिशेष अंतरित करने में असमर्थ हैं, क्योंकि निवल आय / लाभ को संचित हानियों की भरपाई और पूंजी को लक्षित स्तर तक लाने के लिए बफर बनाकर रखना होगा।

3.3 इसके अतिरिक्त, नियम-आधारित, सार्वजनिक रूप से घोषित आर्थिक पूंजी ढांचा के निरंतर अपनाने और कार्यान्वयन ने बैंक की वित्तीय लचीलापन बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में हितधारकों के विश्वास और भरोसे को मजबूत करने में मदद की है। पारदर्शी दृष्टिकोण से यह सुनिश्चित हुआ है कि जोखिम प्रावधानों और अधिशेष हस्तांतरण के स्तर से संबंधित निर्णयों में मनमाने की कोई चिंता नहीं है।

3.4 पिछले 10 वर्षों के दौरान आरबीआई की कुल आर्थिक पूंजी का विकास तथा प्राप्त पूंजी[9] और पुनर्मूल्यांकन शेष[10] के घटक नीचे दिए गए चार्ट 2 में दर्शाए गए हैं। यह देखा गया है कि जबकि पुनर्मूल्यांकन शेष (रुपये के संदर्भ में) में सामान्य रूप से वृद्धि की प्रवृत्ति रही है, बैलेंस शीट के आकार के संदर्भ में पुनर्मूल्यांकन शेष में अधिकांशतः चक्रीय प्रवृत्ति रही है, जिसमें गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है। इसकी पहचान निम्न स्तर के चरम बिंदुओं और निम्न स्तर के निम्न बिंदुओं से होती है, विशेष रूप से पिछले पांच वर्षों के दौरान। चार्ट 3 में पिछले पांच वर्षों की अवधि के दौरान आर्थिक पूंजी की संरचना में सुधार को दर्शाया गया है, जहां 31 मार्च, 2024 तक प्राप्त इक्विटि आर्थिक पूंजी के अनुपात में 30 जून, 2019 की तुलना में अधिक है।

चार्ट 2 : आर्थिक पूंजी के घटक (पिछले 10 वर्ष में)

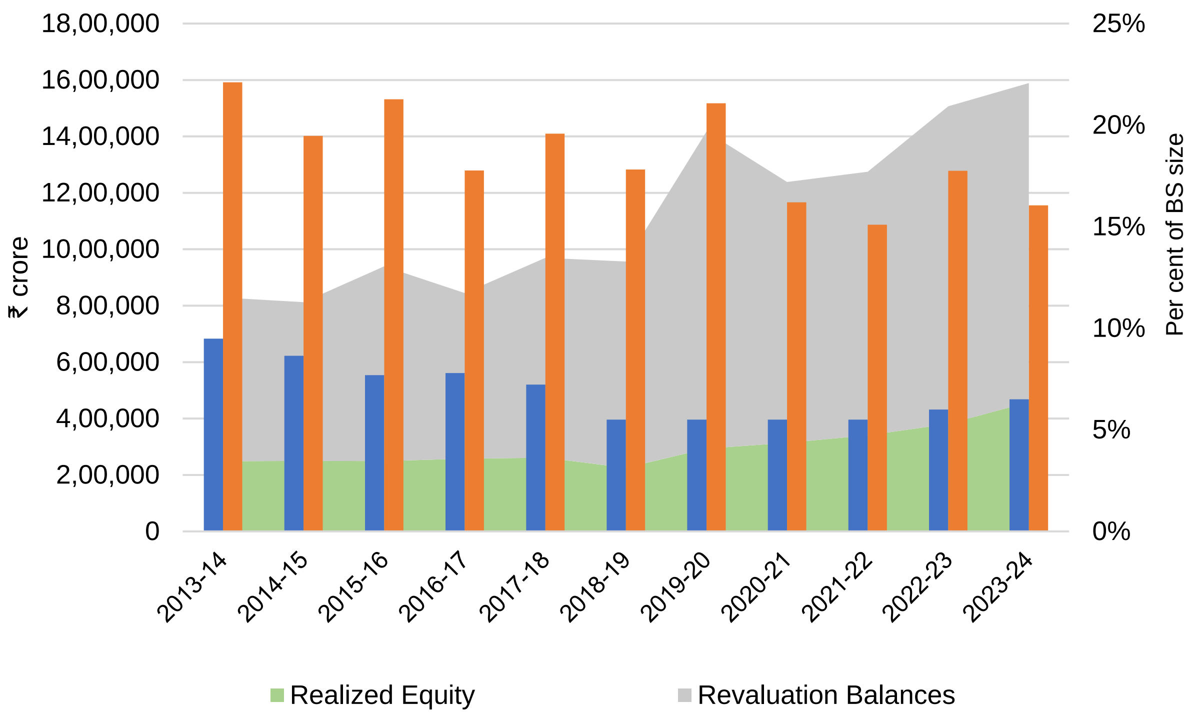

9 वार्षिक खातों को अंतिम रूप देने के बाद। इसमें वर्ष के दौरान किए गए जोखिम प्रावाधान का प्रभाव/जोखिम प्रावधानों का प्रतिलेखन शामिल है।
10 इसमें लेखांकन नीति के अनुसार पुनर्मूल्यांकन खातों में नकारात्मक शेष के चार्जिंग के प्रभाव को सीएफ़ में शामिल करता है।

चार्ट 3: आरबीआई के आर्थिक पूंजी के घटक

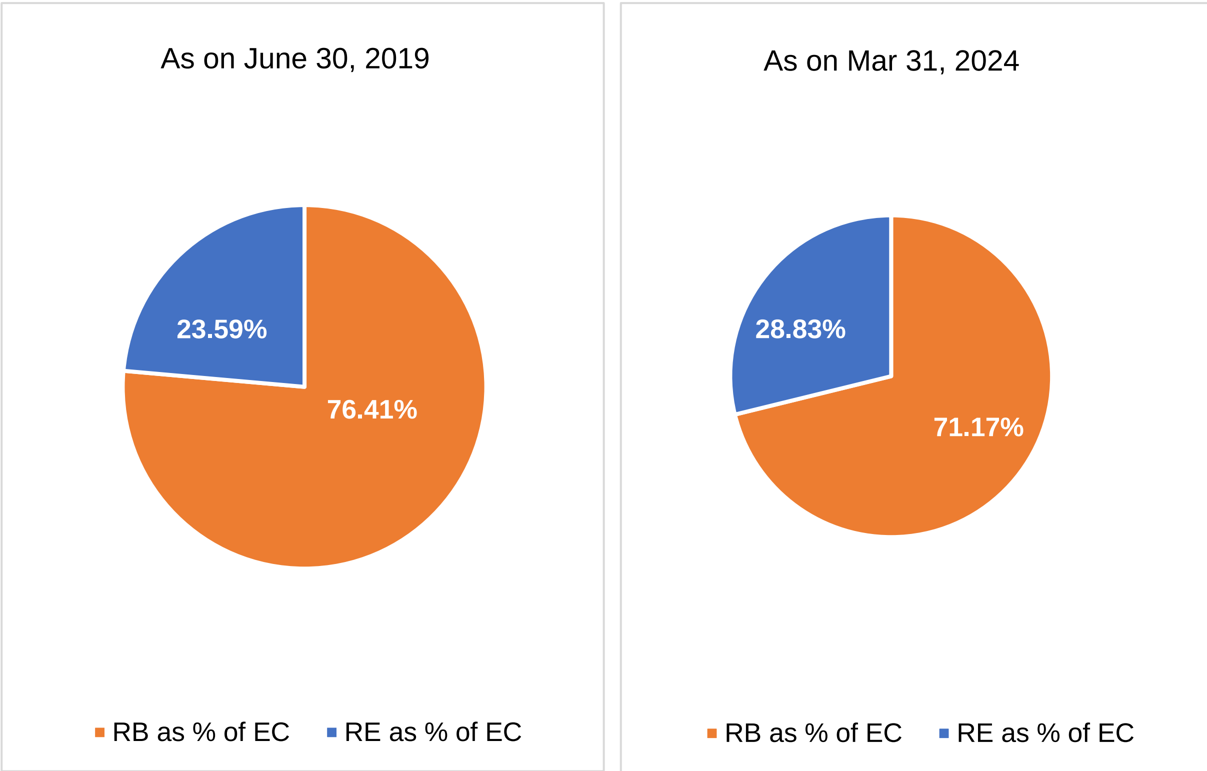

RB – Revaluation Balances | RE – Realised Equity

जोखिम प्रावधान और सरकार को अधिशेष अंतरण (वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक)

3.5 वर्तमान आर्थिक पूंजी ढांचा (ECF) के कार्यान्वयन की अवधि में, आरबीआई ने औसतन निवल आय का 36.68% जोखिम प्रावधान के रूप में किया, जबकि निवल आय का 63.32% भाग सरकार को अंतरित किया गया। यद्यपि निवल आय में जोखिम प्रावधान का औसत अनुपात पिछले पांच वर्षों की तुलना में अधिक रहा है, जिसमें मालेगम समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन (निवल का 9.96%) और विशेषज्ञ समिति[11] द्वारा परिकल्पित अनुपात भी शामिल है, फिर भी यह वृद्धि उस समय के अप्रत्याशित घरेलू और वैश्विक आर्थिक स्थितियों, जैसे महामारी और वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता के कारण हुई है। पिछले 10 वर्षों के दौरान निवल आय का जोखिम प्रावधान और सरकार को किए गए अधिशेष नीचे दी गई तालिका 1 और चार्ट 4 में सारांशित किया गया है।

[11] समिति ने औसत परिदृश्य के तहत निवल आय के 14% से 16.6% के बीच औसत जोखिम प्रावधान का अनुमान लगाया था। ऐसा आकलन किया गया कि निवल आय पर नकारात्मक 1 एसडी आघात की स्थिति में यह सीमा 27.8% से 32.8% के बीच होगी।

सारणी 1: जोखिम प्रावधान और अधिशेष हस्तांतरण – पिछले 10 वर्ष (करोड़ में) (कोष्ठक के आंकड़े निवल आय के प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं)			
अवधि	**जोखिम प्रावधान**	**अधिशेष हस्तांतरण**	**निवल आय**
2013-14 to 2017-18	29,330 (9.96%)	2,65,110 (90.03%)	2,94,460 (100.00%)
2018-19 to 2023-24[12]	3,82,752 (36.68%)	6,60,835 (63.32%)	10,43,611 (100.00%)
^ जोखिम प्रावाधान और सरकार को हस्तांतरित अधिशेष करने के अतिरिक्त चार संवैधानिक निधियों को ₹1 करोड़ की राशि हस्तांतरित करना भी शामिल हैं।			

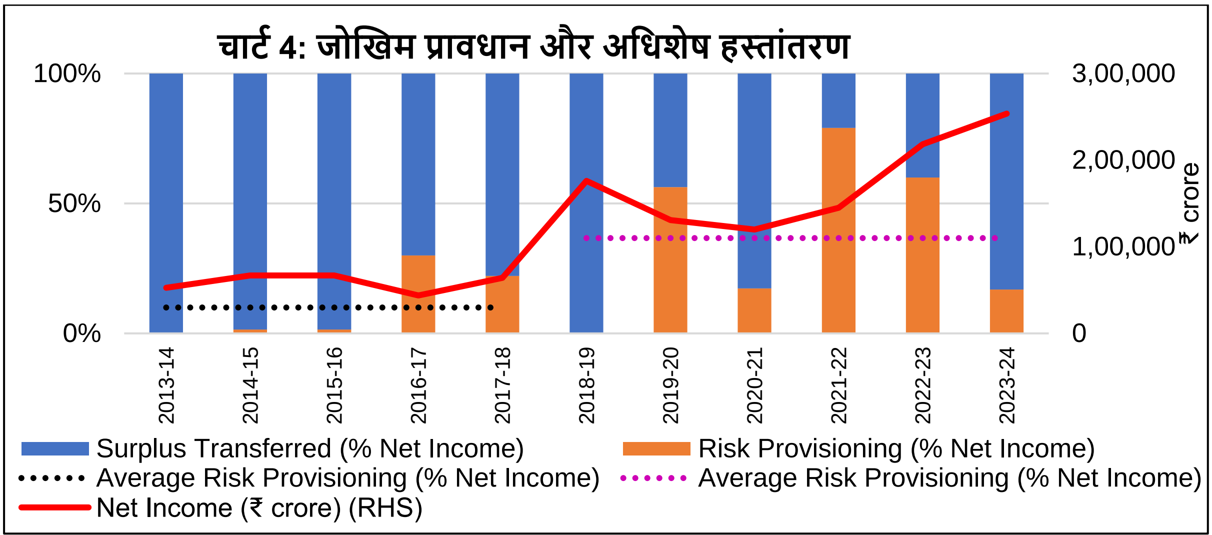

[12] वित्तीय वर्ष 2018-19 में सीएफ़ से ₹52,637 करोड़ के प्रतिलेखन (राइट -बैक) के प्रभाव को छोड़कर। यदि इसे शामिल किया जाए, तो निवल आय के जोखिम प्रावधान और अधिशेष हस्तांतरण के प्रतिशत के रूप में 33.31 % और 66.69% क्रमश: होगा।

4 आर्थिक पूंजी ढांचा की समीक्षा –सिफ़ारिशें

4.1 ईसीएफ ने कई ऐतिहासिक अस्थिर घटनाओं के दौरान भी आरबीआई के लिए सुदृढ़ बैलेंस शीट सुनिश्चित करने के अपने उद्देश्य को पूरा करने में सुदृढ़ता साबित की है। ऐतिहासिक अस्थिर घटनाएँ हैं - (i) सदी में एक बार आने वाली महामारी, जिसका भारत में नहीं, बल्कि दुनिया के हर देश के आर्थिक विकास और वित्तीय बाजारों पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा; (ii) प्रमुख भू-राजनीतिक अस्थिरता जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप लगाए गए प्रतिबंधों का दौर, जो मिलकर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और पूंजी प्रवाह की रूपरेखा फिर से निर्धारित कर रहे (iii) वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में सबसे अधिक सख्त रुख जो 1980 के दशक की शुरुआत से दुनिया ने देखी है, जिससे विशेष रूप से केंद्रीय बैंकों की बैलेंस शीट को नुकसान पहुंचा; और (iv) ईएमई मुद्राओं, भारतीय रुपया सहित, के दो चरणों में तेजी से अवमूल्यन। न केवल आरबीआई की बैलेंस शीट इन नकारात्मक घटनाओं से सुदृढ़ होकर उभरी है, बल्कि आरबीआई ने इन पांच वर्षों के दौरान सरकार को अधिशेष अंतरण को बनाए रखने और वास्तव में उसमें वृद्धि करने में भी सफलता प्राप्त की है। इसलिए, यह उचित माना गया कि पिछले पांच वर्षों में आरबीआई द्वारा अपनाए गए आर्थिक पूंजी के लिए विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: डॉ. बिमल जालान) द्वारा सिफ़ारिश की गयी एक ही ढांचे को जारी रखा जाए, क्योंकि यह प्रतिकूल माहौल में भी सक्षम बना रहा।

4.2 इसके अलावा, चूंकि बाजार, क्रेडिट और परिचालन जोखिमों के लिए वर्तमान पद्धतियां वैश्विक मानकों पर आधारित हैं, इसलिए समीक्षा में जोखिम आकलन पद्धतियों और उनके मान्यताओं में समीक्षा में कोई बड़ा बदलाव प्रस्तावित नहीं किया गया है, क्योंकि ये पद्धतियां उपलब्ध जोखिम आकलन विधियों और आरबीआई के मामले में उनके उपयोग की उचितता के व्यापक मूल्यांकन के बाद विशेषज्ञ समिति द्वारा सिफ़ारिश की गई थीं।

4.3 इसी के साथ, समीक्षा में पिछले पांच वर्षों के दौरान वर्तमान ईसीएफ के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभव, बैंक की बैलेंस शीट की परिसंपत्ति प्रोफ़ाइल में आए परिवर्तनों तथा घरेलू एवं वैश्विक परिचालन वातावरण में हुए विकासों पर भी विचार किया गया। उपर्युक्त के आधार पर इसने दो क्षेत्रों को रेखांकित किया, जहां ढांचे को और मजबूत किया जा सकता है ताकि इसका अपने मूल उद्देश्य के साथ लगातार संरेखन बना रहे। यह दो क्षेत्र इस प्रकार हैं –

(I) सरकार को अधिशेष का अंतरण उतना स्थिर नहीं रहा जीतने की अपेक्षा थी, जैसा कि इस अध्याय में आगे दिए गए पैरा 4.25 में स्पष्ट किया गया है। इसलिए, ऐसी अपेक्षा की गयी कि वर्षों के दौरान अधिशेष हस्तांतरण को सुचारु बनाने के लिए केंद्रीय बोर्ड को अधिक लचीलापन उपलब्ध कराना वांछनीय माना गया।

(ii) यद्यपि ढांचा अपने आप में सुदृढ़ साबित हुआ है, लेकिन कुछ जोखिम स्रोत (उदाहरण के लिए, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर पर बाज़ार जोखिम) जिन्हें वर्तमान ढांचे में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि वे पहले महत्वपूर्ण नहीं थे, अब उनका महत्व बढ़ गया है और उन्हें शामिल करने की आवश्यकता है।

समीक्षा द्वारा की गयी सिफ़ारिशें नीचे दी गयी है :

आरबीआई के आर्थिक पूंजी के घटक

4.4 प्राप्त इक्विटि और पुनर्मूल्यन जमाशेष आगे भी आरबीआई की आर्थिक पूंजी के दोहरे घटक बने रह सकते हैं, जबकि एक-तरफा परिवर्तनीयता का वर्तमान सिद्धांत लागू रहेगा। (इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि पुनर्मूल्यन जमाशेष केवल बाजार जोखिम के लिए ही प्रयोग किए जा सकते हैं, जबकि प्राप्त इक्विटि सभी जोखिमों, बाजार जोखिम सहित, के लिए उपयोग की जा सकती है।)

I. बाजार जोखिम के लिए प्रावधान और जोखिम मानकीकरण

4.5 बाजार जोखिमों के आकलन और मापन के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धतियों का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि अपेक्षित कमी लगातार स्वर्ण मानक बनी हुई है। **इस आधार पर यह प्रस्तावित किया गया है कि बैलेंस शीट की मदों के लिए बाजार जोखिम बफर आवश्यकता का आकलन लगातार प्रतिफल के पैरामीट्रिक वितरण का उपयोग करते हुए तथा तनावग्रस्त परिस्थितियों में अपेक्षित कमी मॉडल लागू करके किया जाता रहेगा।**

4.6 विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया था कि आरबीआई को अपने ऑफ-बैलेंस शीट एक्स्पोज़र जोखिमों के बढ़ते महत्व को देखते हुए उनके बाजार जोखिम के आकलन के लिए एक ढांचा विकसित करना चाहिए (पैरा 4.50)। **इसी के अनुसार, यह प्रस्तावित किया गया है एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है, जिसके तहत ओएफ़बीएस पोर्टफोलियो[13] को भी बैलेंस शीट के पोर्टफोलियो के साथ-साथ बाजार जोखिम बफर आवश्यकता की गणना करते समय शामिल किया जाए।**

[13] 31 मार्च 2025 तक ओएफ़बीएस एक्सपोज़र बैंक के तुलन पत्र के आकार से 10% अधिक था।

4.7 संदर्भ अवधि के चुनाव के संबंध में, (वैरिएंस-कोवैरिएंस) मैट्रिक्स की गणना के लिए सबसे अधिक तनावपूर्ण अवधि का निर्धारण करने के उद्देश्य से एक अनुकरण (सिमुलेशन) अभ्यास किया गया, जो अपेक्षित कमी की गणना का भाग है। यह पाया गया कि अगस्त 2013 में समाप्त हुई अवधि (जो मौजूदा ईसीएफ द्वारा अपनाई गई थी), तनावग्रस्त वैरिएंस-कोवैरिएंस मैट्रिक्स की गणना के लिए सबसे उपयुक्त है। **हालांकि, यह प्रस्तावित किया गया है कि कीमत आय (प्राइस रिटर्न) के वैरिएंस-कोवैरिएंस मैट्रिक्स की गणना अब सीधे कीमत आय से की जाए, वर्तमान प्रक्रिया के स्थान पर, जिसमें (प्री- एवं पोस्ट-मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स) का उपयोग करके प्रतिफल रिटर्न के वैरिएंस-कोवैरिएंस मैट्रिक्स को रूपांतरित करके इसका सन्निकटन (एप्रॉक्सिमेशन) किया जाता था।** प्रस्तावित पद्धति सांख्यिकीय रूप से दृढ़ है और यह देखा गया है कि इससे बाजार जोखिम बफर की आवश्यकता में थोड़ी वृद्धि देखि गयी। यही पद्धति बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन के लिए भी अपनाई जा रही है। अपेक्षित कमी (ES) की गणना में उपयोग किए जाने वाले अन्य पैरामीटरों की समीक्षा उनकी उचितता सुनिश्चित करने के लिए की गई और प्रस्तावित किया गया है कि उसे आगे भी वैसे ही रहने दिया जाए। कीमत आय से सीधे वैरिएंस-कोवैरिएंस) मैट्रिक्स की गणना करने का कारण **अनुबंध III** में दिया गया है।

4.8 आर्थिक पूंजी की गणना में वर्तमान में सोना के साथ केवल उन प्रमुख मुद्राओं पर विचार किया जाता है, जिनमें विदेशी मुद्रा भंडार नियोजित हैं, जब बाजार जोखिम बफर की आवश्यकता की गणना की जाती है। **इस संबंध में, यह प्रस्तावित किया गया है कि अब आगे से, बाजार जोखिम बफर की आवश्यकता की गणना में छोटी मुद्राओं में नियोजित विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों को भी शामिल किया जाए।**

4.9 बाजार जोखिम बफर्स के अनुरक्षण के लिए चुने जाने वाले कॉन्फ़िडेंस लेवल के संबंध में, विभिन्न तनावपूर्ण परिदृश्यों के अंतर्गत उनकी पर्याप्तता के आधार पर वर्तमान मानकों की समीक्षा की गई। मौजूदा ईसीएफ के तहत, 97.5 प्रतिशत का कॉन्फ़िडेंस लेवल का चयन किया गया जिससे डॉलर की तुलना में रुपए का 20 प्रतिशत अधिमूल्यन एवं घरेलू प्रतिफल में 300 आधार अंक बढ़ने से पर्याप्त सुरक्षा मिले। 99.5 प्रतिशत का कॉन्फ़िडेंस लेवल क्रॉस-करेंसी जोखिम, स्वर्ण मूल्य जोखिम, विदेशी प्रतिभूतियों में यील्ड जोखिम और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के मूल्यांकन जोखिमों से अतिरिक्त (यद्यपि सीमित) सुरक्षा (बैलेंस शीट के 3.6 प्रतिशत तक) प्रदान करता है। समीक्षा के दौरान ऊपर दिए गए परिदृश्य सहित विभिन्न परिदृश्यों को ध्यान में रखकर ऐसा ही अभ्यास किया गया। नीचे दी गई तालिका 2 में क्रमशः ES

99.5 प्रतिशत (तनाव) और 97.5 प्रतिशत CL (तनाव) पर बाजार जोखिम बफर्स पर विनिमय दरों और यील्ड कर्व पर प्रतिकूल बदलाव के प्रभाव को दर्शाया गया है।

सारणी 2 : विनिमय दरों और बाज़ार जोखिम बफ़र पर प्रतिफल के परिवर्तन का प्रभाव (करोड़ में) (तुलन पत्र का प्रतिशत) (31 मार्च 2024 तक पोर्टफोलियो)

	घरेलू प्रतिफल में उछाल	विदेशी प्रतिफल में उछाल	यूएसडी के संदर्भ में दो - देशों के बीच मुद्रा का अवमूल्यन	यूएसडी की तुलना में आईएनआर की मूल्यवृद्धि	अपेक्षित एमटीएम घाटा	ईएस की तुलना में अपशिष्ट शेष 99.5 % Residual balance wrt ES 99.5%	ईएस की तुलना में अपशिष्ट शेष 97.5%
परिदृशय ए	300 bps	Nil	Nil	20%	10,28,750	2,60,203 (3.69%)	13,218 (0.19%)
परिदृशय बी	150 bps	150 bps	Nil	20%	11,11,562	1,77,391 (2.52%)	-69,594 (-0.99%)
परिदृशय सी	200 bps	200 bps	5%	15%	11,24,390	1,64,563 (2.33%)	-82,422 (-1.17%)
परिदृशय डी	100 bps	100 bps	5%	20%	11,26,293	1,62,660 (2.31%)	-84,325 (-1.20%)
परिदृशय ई	300 bps	100 bps	Nil	20%	11,42,310	1,46,643 (2.08%)	-1,00,342 (-1.42%)
परिदृशय एफ़	200 bps	200 bps	5%	20%	12,95,874	-6,921 (-0.10%)	-2,53,906 (-3.60%)
परिदृशय जी	150 bps	Customised*	15%	10%	13,13,507	-24,554 (-0.35%)	-2,71,539 (-3.85%)
परिदृशय एच	150 bps	Customised**	15%	10%	14,06,671	-1,17,718 (-1.67%)	-3,64,703 (-5.17%)

*A yield jump of 375, 300, 325, 525, 50, 250 and 375 bps has been considered for the portfolio of dated securities denominated in AUD, CAD, EUR, GBP, JPY, NOK and USD respectively, in line with the maximum yield increase observed over a 1-year period during the recent spell of monetary tightening.
** A yield jump of 400, 400, 375, 575, 50, 350 and 475 bps has been considered for the portfolio of dated securities denominated in AUD, CAD, EUR, GBP, JPY, NOK and USD respectively, in line with the maximum yield increase observed during the recent spell of monetary tightening beginning Aug 2021.

4.10 परिदृश्य A में, वर्तमान ईसीएफ द्वारा परिकल्पित झटकों (शॉक्स) के समान झटकों की कल्पना की गई है। इसके तहत, बाजार जोखिम बफर्स, जो ES (तनाव) 99.5% कॉन्फ़िडेंस लेवल (CL) के बराबर हैं, बचे हुए जोखिमों को समायोजित करने के लिए बैलेंस शीट (BS) के 3.69% के अवशेष बफर छोड़ते हैं, जबकि ES (तनाव) 97.5% CL के बराबर बाजार जोखिम बफर्स केवल परिकल्पित झटकों को पूरा करने के लिए ही पर्याप्त हैं। ईएस (तनाव) 97.5% सीएल पर बाजार जोखिम बफर्स अन्य सभी परिदृश्यों में जोखिम कारकों में प्रतिकूल बदलाव के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में असफल हैं, जबकि ईएस

(तनाव) 99.5% CL पर बफर्स सभी परिदृश्यों में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हैं, सिवाय परिदृश्य एफ़, जी और एच के। कुछ परिदृश्यों में ES (तनाव) 97.5% CL पर बफर्स द्वारा बैलेंस शीट को आवश्यक स्तर की सुरक्षा प्रदान न कर पाने के कारण, **यह प्रस्ताव किया गया है कि केंद्रीय बोर्ड को इतना लचीलापन[14] प्रदान किया जाए, कि वह प्राप्त इक्विटि / निवल आय से अतिरिक्त जोखिम प्रावधान कर पाएँ जिससे केंद्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित सुदृढ़ स्तर ES 99.5% CL और ES 97.5% CL के बीच की सीमा तक बाजार जोखिम बफर्स को बढ़ाया जा सके।** उपर्युक्त लचीलापन केंद्रीय बोर्ड को ना सिर्फ यह सुनिश्चित करने में सहायता करेगा कि जोखिम कारकों में लगातार प्रतिकूल बदलावों के बीच भी आरबीआई की बैलेंस शीट में सुदृढ़ता सुनिश्चित किया जा सके बल्कि यह भी इससे अस्थायी बदलावों को सामान्य करने हेतु भी आवश्यक लचीलापन प्रदान करेगा।

4.11 उनकी अपेक्षा से अधिक पुनर्मूल्यन जमाशेष , अगर कोई हो, बाजार जोखिमों को पूरा करने के लिए अपनी अप्राप्त लाभ की प्रकृति के कारण, बैलेंस पर बने रहेंगे और उनका वितरण उपलब्ध नहीं होगा। पिछले पांच वर्षों में बाजार जोखिम के लिए जोखिम बफर्स की आवश्यकता पर प्रस्तावों के प्रभाव का विवरण **अनुबंध IV** में दिया गया है।

II. ऋण जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए प्रावधान

4.12 ऋण जोखिम (ऑफ-बैलेंस शीट जोखिमों सहित) और परिचालन जोखिम के लिए आर्थिक पूंजी की आवश्यकता का आकलन अब तक की तरह जारी रखा जा सकता है। उपर्युक्त तरीके से आकलित आर्थिक पूंजी की आवश्यकता बैलेंस शीट के आकार के लगभग एक प्रतिशत बनी हुई है। **तदनुसार, यह प्रस्तावित किया गया है कि मौजूदा ढांचा में ऋण जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए प्राप्त इक्विटि की संयुक्त अप्रत्यक्ष आवश्यकता, बैलेंस शीट के आकार के एक प्रतिशत तक बनाई रखी जाएगी ।**

iii. वित्तीय और मौद्रिक स्थिरता जोखिमों के लिए प्रावधान

4.13 ईसीएफ वित्तीय स्थिरता जोखिमों को सबसे दुर्लभ प्रकार जोखिमों में से एक के रूप में स्वीकार करता है, जिनकी घटनाएँ अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकती हैं, और केंद्रीय बैंकों, जिसमें आरबीआई भी शामिल है, की इसके प्रति जिम्मेदारी है कि वे वित्तीय प्रणाली की स्थिरता की रक्षा करें। इसमें आपातकालीन तरलता सहायता प्रदान करना, यहां तक कि संपार्श्विक मानकों को कम करके, और संपत्ति

[14] मौजूदा ECF के तहत, यदि बाजार जोखिम बफर उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं, जिसे ES 97.5 प्रतिशत CL पर अकलनित किया गया है, तो बाजार जोखिम के लिए कोई अतिरिक्त जोखिम प्रावधान की अनुमति नहीं है।

की खरीद करना, जिसमें निजी संपत्तियाँ भी शामिल हैं, जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं, ताकि बाजार में विकारों का समाधान किया जा सके और मौद्रिक नीति के उद्देश्यों का समर्थन किया जा सके, भले ही इसके लिए महत्वपूर्ण क्रेडिट जोखिम लेना पड़े। इस तथ्य को स्वीकारते हुए कि आरबीआई मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता का प्रमुख बचाव है , विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की थी कि मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता जोखिम प्रावधानों का आकार बैलेंस शीट के आकार के 4.5 से 5.5 प्रतिशत के बीच रखा जाए, ताकि प्रणालीगत स्थिरता संकट के मामले में बाजार के प्रतिभागियों की चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और आरबीआई के संकट निवारक उपायों को विश्वसनीय माना जा सके।

4.14 मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता जोखिम प्रावधान का आकार विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसका उद्देश्य है कि अपेक्षाकृत प्रतिकूल तरलता झटके की स्थिति में उच्च 10 एससीबी को आपातकालीन तरलता सहायता (ELA) से उत्पन्न होने वाले संभाव्य हानि सुनिश्चित की जा सके। हालांकि ऐसी आशा है कि आरबीआई द्वारा प्रदान की गई ईएलए संपार्श्विक है लेकिन उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियों (HQLA) के अपने भंडार से परे एससीबी को दी गई ईएलए , आरबीआई को न केवल बाजार जोखिम के लिए, बल्कि ऋण जोखिम के लिए भी उजागर करती है। इस दृष्टिकोण से, मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता जोखिम प्रावधानों को आरबीआई के पास प्रतिकूल परिस्थिति के लिए रखा गया है, जब यह एलओआईआर की भूमिका निभाता है। यह समीक्षा हाल के और उभरते वैश्विक अर्थव्यवस्था कारकों का आकलन करती है, जो मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर सकती हैं, जबकि पिछले पांच वर्षों में बैंक और बैंकिंग प्रणाली द्वारा प्रदर्शित लचीलापन को भी ध्यान में रखा गया है, जिसके बारे में आगे के पैरा में चर्चा कि गयी है।

4.15 महामारी के दौरान, केंद्रीय बैंकों ने मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बहाल करने के लिए असामान्य और जोखिम भरे नीतिगत उपायों का सहारा लिया, जैसे बड़े पैमाने पर परिसंपत्ति खरीद करना। भविष्य में भी संकटकालीन परिस्थिति में केंद्रीय बैंकों के असामान्य मौद्रिक नीति उपकरणों का सहारा लेने की संभावना को इस तथ्य से भी समझा जा सकता है कि कई छोटी खुली अर्थव्यवस्थाओं और उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं ने कोविड-19 संकट के प्रतिउत्तर में पहली बार परिसंपत्ति खरीदना आरंभ किया, साथ ही विकसित अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंकों[15] ने इसके कार्यान्वयन को और अधिक विस्तार किया। यह भी देखा गया है कि केंद्रीय बैंकों के खरीद कार्यक्रमों द्वारा कवर की गई

[15] बीआईएस, वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर समिति (सीजीएफएस) के पत्र संख्या 68 (मार्च 2023) - 'कोविड-19 संकट के प्रतिउत्तर में केंद्रीय बैंक द्वारा संपत्ति की खरीद' मार्गरिटा डेलगाडो (बैंको डे स्पेन) और टोनी ग्रावेल (बीओसी) द्वारा।

परिसंपत्तियों की श्रेणी पहले से अधिक व्यापक थी, और क्रेडिट गुणवत्ता भी पूर्व की तुलना में कम थी, कई ईएमई के केंद्रीय बैंकों ने पहली बार निजी परिसंपत्तियों को खरीदा।

4.16 हालांकि असामान्य मौद्रिक नीति उपकरणों ने वित्तीय बाजारों पर एक स्थिरीकरण प्रभाव डाला है, तरलता, क्रेडिट जोखिम और अवधि प्रीमियम कि कमी के साथ, उन्होंने निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में जोखिमों के अंतरण के माध्यम से केंद्रीय बैंकों के जोखिमों का एक्सपोज़र भी बढ़ा है। भारत के मामले में, हालांकि महामारी के बाद संपत्तियों की खरीद सार्वजनिक संपत्तियों तक सीमित थी, लेकिन भविष्य में संकट के समय निजी संपत्तियों की खरीद की संभावना को ख़ारिज नहीं किया जा सकता है। इसी तरह, भविष्य के संकट के दौरान एआईएफआई, एनबीएफसी, एमएफआई, कॉर्पोरेट्स और म्यूचुअल फंड्स को गैर-एचक्यूएलए संपार्श्विक के विरुद्ध सीधे तरलता सहायता प्रदान करने की संभावना को भी ख़ारिज नहीं किया जा सकता, खासकर यदि बैंकिंग प्रणाली की जोखिम वहन क्षमता कम है या उसकी पूंजी स्थिति तनावग्रस्त है।

4.17 अन्य आकस्मिक वित्तीय स्थिरता जोखिमों के संदर्भ में वित्तीय प्रणाली में बैंकों और गैर-बैंक वित्तीय संस्थाओं के बीच पारस्परिक संबंधों में वृद्धि देखी जा रही है, जिससे वित्तीय संकट में संक्रमण (कंटेजन) का जोखिम बढ़ रहा है। इसके अलावा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की वैश्विक कार्यप्रणाली के मद्देनजर, तनाव की अवधि में आरबीआई द्वारा एससीबी की विदेशी शाखाओं को विदेशी मुद्रा में तरलता प्रदान करने की संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, विशेष रूप से जब प्रतिपक्षी ऋण सीमाओं में कसाव आए और फैलाव (स्प्रेड) में वृद्धि हो।

4.18 हालांकि, बैंक ने अत्यधिक समष्टि अर्थशास्त्र कारकों के समक्ष सुदृढ़ता दर्शाया है उसको रेखांकित करना भी महत्वपूर्ण है जिसका विस्तृत विवरण रिपोर्ट के अध्याय 2 में किया गया है। बैंक कि यह सुदृढ़ता मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता के व्यापक संदर्भ में महत्वपूर्ण है, खासकर जब कई अन्य केंद्रीय बैंकों को नुकसान हुआ है और पिछले पांच वर्षों में मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के प्रयासों में अपनी पूंजी को कम करना पड़ा है । बैंक के बैलेंस शीट की सुदृढ़ता जिसका आकलन आर्थिक पूंजी, जोखिम प्रावधानों और सरकार को अधिशेष अंतरण के संदर्भ में किया गया है का विवरण इस रिपोर्ट के अध्याय 3 में किया गया है।

4.19 यह सुदृढ़ता भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उस समय भी बनी रही जब बैंक ने महामारी के दौरान वित्तीय प्रणाली का समर्थन करने और व्यापक अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए कई लक्षित उपाय किए। जबकि इन उपायों का बैलेंस शीट पर प्रभाव डालने की संभावना थी, बैंक ने किसी भी प्रकार के

प्रतिकूल परिणाम का अनुभव नहीं किया। यह समष्टि अर्थव्यवस्था की अस्थिरता और प्रणालीगत तनाव के दौरान भी बैंक के बैलेंस शीट की तीव्रता और दृढ़ता को इंगित करता है।

4.20 हाल के वर्षों में, बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार में सितंबर 2019 के अंत में 433.71 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर मार्च 2025 के अंत में 665.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। इस वृद्धि ने बैलेंस शीट की स्थिरता में सुधार करने के साथ ही बाह्य चुनौतियों का प्रबंधन करने, विनिमय दर की अस्थिरता को कम करने और इस प्रकार मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता की सहायता की बैंक की क्षमता को बढ़ाया है।

4.21 केंद्र बैंक की सुदृढ़ता के अतिरिक्त, बैंकिंग क्षेत्र ने संपत्ति गुणवत्ता में भी अधिक सुधार दर्शाया है जो अधिक सुदृढ़ बैलेंस शीट और वित्तीय असंतुलन के कम जोखिम का संकेत देता है। नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भी बैंकों की बैलेंस शीट की सुदृढ़ता की पुष्टि करता है, यह रेखांकित करते हुए कि सकल गैर निष्पादित संपत्तियाँ (जीएनपीए) अनुपात 2.6 प्रतिशत के कई वर्षों के न्यूनतम स्तर पर है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, कम स्लिपेज का योगदान है।

4.22 केंद्रीय बैंकों के अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से और समष्टि अर्थव्यवस्था और भू-राजनीतिक विकास के प्रभावों के कारण चल रही अनिश्चितता के मद्देनजर, आरबीआई के लिए देश की मौद्रिक, वित्तीय और बाह्य स्थिरता को सुरक्षित करने के उनके कर्तव्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए उचित स्तर की पर्याप्त इक्विटि बनाए रखने की आवश्यकता बढ़ गई है। हालाँकि, हाल के वर्षों में बैंक द्वारा दर्शाए गए सुदृढ़ता, महामारी और इसके बाद के प्रभावों के बावजूद, बैंक की मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता के जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता को मजबूत करता है और इसके बैलेंस शीट की सुदृढ़ता को भी रेखांकित करता है।

4.23 हालांकि यह महसूस किया गया कि शीर्ष 10 एससीबी के एक साथ तरलता तनाव का अनुभव करना एक अपेक्षाकृत संवेदनशील परिदृश्य है, यह देखते हुए कि इन 10 बैंकों की जमा राशि सभी एससीबी की जमा राशि का 74.75% से अधिक है, फिर भी विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन की बुनियादी संरचना का पालन करने का निर्णय लिया गया। इसके अनुसार, 31 मार्च 2025 को शीर्ष 10 एससीबी की ईएलए आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया गया। समीक्षा के दौरान, यह नोट किया गया कि बैंकिंग प्रणाली की संपत्ति की गुणवत्ता में विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन के बाद से काफी सुधार हुआ है, जैसा कि मार्च 2019 में एससीबी के जीएनपीए अनुपात में 9.3% (पीएसबी के लिए 12.6%) से घटकर सितंबर 2024 में 2.6% (पीएसबी के लिए 3.3%) के कई वर्ष के निम्न स्तर पर आने

से स्पष्ट है। यद्यपि विशेषज्ञ समिति ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए गैर-एचक्यूएलए संपार्श्विक के संबंध में ईएलए पर 80 प्रतिशत की एक समान पुन: प्राप्ति दर के आधार पर आरबीआई के लिए संभावित एलओएलआर घाटे का अनुमान लगाया था, वर्तमान समीक्षा में यह प्रस्ताव है कि पुन: प्राप्ति दरों का आकलन करते समय पीएसबी के मामले में सरकारी स्वामित्व के कारण निहित मजबूती को ध्यान में रखा जाए। यह इस तथ्य से स्पष्ट था कि सरकार ने आरबीआई के परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा के दौरान 3,15,000 करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी का निवेश किया था। इस प्रकार, पीएसबी को दी गई ऋणों की मात्रा के लिए आरबीआई के संभावित एलओएलआर हानियों को निजी क्षेत्र के बैंकों (20%) की तुलना में कम (10%) मान लिया गया है। इसके मद्देनज़र, विशेषज्ञ समिति द्वारा उपयोग किए गए अनुमानों के साथ सामान्य रूप से संगत वर्तमान आकलन में तरलता तनाव परिदृश्य में शीर्ष 10 बैंकों को शामिल करते हुए आरबीआई के संभावित नुकसान को आरबीआई के बैलेंस शीट का 2.97 प्रतिशत दर्शाता है, जिसमें पीएसबी के लिए 90% और निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए 80% की पुन: प्राप्ति दर है। (तालिका 3)

सारणी 3: शीर्ष 10 एससीबी के लिए ईएलए - आरबीआई बीएस आकार के प्रतिशत के रूप में एलओएलआर घाटा			
सर्वजनिक क्षेत्र के बैंक	**निजी क्षेत्र के बैंक**	**प्रतिकूल आघात परिदृश्य**	**चरम आघात परिदृश्य**
90% वसूली दर	**80% वसूली दर**	2.97%	5.98%
80% वसूली दर	**60% वसूली दर**	5.94%	11.97%

4.24 हालांकि, विश्लेषण में पहले सूचीबद्ध अन्य संभावित मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता जोखिमों के स्रोतों पर विचार नहीं किया, जिनपर मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता जोखिमों के लागू सीमा का निर्धारण करते समय भी विचार किया जा सकता है।

4,25 यह भी देखा गया है कि मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचा की अवधि के दौरान सरकार को अधिशेष अंतरण में काफी अस्थिरता दिखी, जिसका संकेत 63.30 प्रतिशत[16] के परिवर्तन गुणांक (CV) से मिलता है। यह पाया गया है कि मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता जोखिमों के लिए वर्तमान 1.0 प्रतिशत का बफ़र केंद्रीय बोर्ड को सरकार को अधिशेष अंतरण करने में बहुत सीमित लचीलापन प्रदान करती है। चूंकि उत्पन्न अधिशेष मूल रूप से चक्रीय ब्याज दरों पर निर्भर करता है, इसलिए एक व्यापक सीमा पर विचार

[16] कोएफीसीयेंट ऑफ वेरीयेशन(सीवी) की गणना मानक विचलन/ औसत के रूप में प्राप्त किया जाता है। यह मौजूदा ईसीएफ़ के अपनाने से पहले छह वर्षों के दौरान 30.84 प्रतिशत पर था।

किया जा सकता है जो केंद्रीय बोर्ड को सरकार को अधिशेष अंतरण करने में पर्याप्त लचिलापन प्रदान कर करेगा।

4.26 **उपर्युक्त कारकों को देखते हुए मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता जोखिमों के लिए बफर आवश्यकता में परिवर्तन का प्रस्ताव किया गया है। वर्तमान में ये बफर बैलेंस शीट (B/S) के आकार के 4.5% से 5.5% की सीमा के भीतर केंद्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित स्तर पर बनाए रखे जाते हैं। मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता जोखिमों के लिए बफर आवश्यकता की सीमा को बढ़ाकर 5.0 ± 1.5% करने का प्रस्ताव है। यह विस्तृत सीमा केंद्रीय बोर्ड को वर्तमान महत्वपूर्ण आर्थिक एवं अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए बफर निर्धारित करने में पर्याप्त लचीलापन प्रदान करेगी, साथ ही सरकार को आसानी से अधिशेष अंतरित कर पाएगी। यह सीमा बी/एस आकार के 2.97% पर अनुमानित अंतिम ऋणदाता (LOLR) हानि की तुलना में पर्याप्त समय भी प्रदान करती है।**

प्राप्त इक्विटि की अपेक्षा

4.27 प्राप्त इक्विटि (आरआरई) की आवश्यकता का आकलन केंद्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित सुदृढ़ता स्तर पर बाजार जोखिम बफर की आवश्यकता की तुलना में आकस्मिक जोखिम बफर (CRB) और पुनर्मूल्यन जमाशेष में कमी अगर कोई हो की अपेक्षा को पूर्ण करने हेतु किया जाएगा।

आकस्मिक जोखिम बफर (CRB) मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता जोखिमों, ऋण जोखिम और परिचालन जोखिमों को समाहित करेगा, जैसा कि पिछले पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है। इसे तलन पत्र (B/S) के आकार के 6.0 ± 1.5% की सीमा में बनाए रखा जाएगा (वर्तमान आर्थिक पूंजी ढांचा के तहत बी/एस के 5.5 प्रतिशत के निम्न स्तर के विरुद्ध 6.5% के स्तर पर) । आरआरई की ऊपरी सीमा की गणना मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता जोखिमों के लिए बफर की ऊपरी सीमा बी/एस के आकार के 6.5% मानते हुए एवं आरआरई की निचली सीमा की गणना मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता जोखिमों के लिए बफर की निचली सीमा बी/एस के आकार का 3.5% के आधार पर की जाएगी।

IV. अधिशेष वितरण नीति

4.28 एसडीपी के तहत पुनर्मूल्यन जमाशेष को अवितरणीय माना जाएगा। इसके साथ ही, वांछित स्तर तक आरबीआई के वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करने को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि केवल शेष निवल आय सरकार को अंतरित की जा सके। एसडीपी उपलब्ध प्राप्त इक्विटी (ARE) (जिसमें पूंजी, आरक्षित निधि, संचयी निधि एवं परिसंपत्ति विकास निधि शामिल हैं) की तुलना इसकी

आवश्यकता (आरआरई) से की जाएगी, तथा निम्नलिखित आधार पर निवल आय का आवंटन किया जाएगा:

(I) संपूर्ण निवल आय सरकार को अंतरित की जा सकती है अगर आरबीआई का एआरई आरआरई के उच्च स्तर से अधिक या इसके समान हो।

(ii) अगर, एआरई आरआरई के ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के तहत रहता है, केंद्रीय बोर्ड उस स्तर का निर्धारण कर सकता है जहां एआरई को अनुरक्षित किया जा सकता है।(आरआरई के ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के अधिन) और तदनुसार जोखिम प्रावधान और अधिशेष वितरण किया जा सकता है।

(iii) यदि एआरई आरआरई के निचले सीमा से कम है, तो आरबीआई द्वारा उचित जोखिम प्रावधान किए जा सकते हैं ताकि एआरई को कम से कम इसके निचले सीमा तक लाया जा सके और केवल शेष निवल आय (यदि कोई हो) सरकार को अंतरित की जा सकती है। यदि निवल आय एआरई को आरआरई के निचले सीमा तक लाने हेतु आवश्यक जोखिम प्रावधान से कम है, तो सरकार को कोई अधिशेष स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है और बैंक अगले वर्षों में सरकार को अधिशेष स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने से पहले अपने एआरई को कम से कम आरआरई के निचले सीमा तक बढ़ाने का प्रयास कर सकता है।

(iv) अप्राप्त पुनर्मूल्यन जमाशेष का कोई वितरण नहीं किया जाएगा।

(v) अधिशेष प्राप्त इक्विटि, अर्थात्, आरआरई से अधिक एआरई, को वार्षिक खातों के अंतिमकरण के समय आकस्मिकता निधि (CF) से आय में वापस लिखा जाएगा।

V. सिफ़ारिशों का प्रभाव

बाजारी और वित्तीय स्थिरता से संबंधित जोखिमों के लिए अनुरक्षित बफरों पर बी/एस आकार के 5.0 ± 1.5 प्रतिशत की प्रस्तावित सीमा के अंतर्गत विचार करते हुए, मौजूदा ईसीएफ़ और प्रस्तावित ईसीएफ़ के तहत जोखिम प्रावधान का एक तुलनात्मक विश्लेषण नीचे तालिका 4 में इसका सारांश दिया गया है:

सारणी 4: मौजूदा और संशोधित ईसीएफ के तहत ईसी की आवश्यकता - 31 मार्च, 2025 - बी/एस का % (₹ करोड़)					
क्र.सं.	जोखिम प्रकार		ईसी की आवश्यकता		जोखिम प्रोविज़निंग

		मानदंड	वर्तमान	प्रस्तावित	उपलब्ध ईसी	वर्तमान	प्रस्तावित
Iए	बाजार जोखिम (बी एस मदों पर)	99.5% CL	17.86%	18.91%	17.40% (आर बी)		
		97.5% सीएल	14.44%	15.29%			
Ib.	बाजार जोखिम (ओएफबीएस)	99.5% सीएल	NA	-2.19%			
		97.5% सीएल	NA	-1.77%			
I. (Iए+Iबी)	बाजार जोखिम (कुल)	99.5% सीएल	17.86%	16.72%		लादू नहीं	0%
		97.5% सीएल	14.44%	13.51%		0%	0%
II.	ऋब और परिचालन जोखिम	वर्तमान	1%	1%	6.91% (RE)		
III.	मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता जोखिम	Upper Bound	5.5%	6.5%			
		Lower Bound	4.5%	3.5%			
IV. (II+III)	कुल गैर-मूल्यांकन जोखिम	Upper Bound	6.5%	7.5%		(-) 0.41% ₹ (-) 31,393	0.59% ₹ 44,862
		Lower Bound	5.5%	4.5%		(-) 1.41% ₹ (-) 1,07,647	(-) 2.41% ₹ (-) 1,83,901

तालिका 4 संकेत देती है कि 31 मार्च, 2025 तक पुनर्मूल्यन जमाशेष बाजार जोखिम बफर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता जोखिमों के लिए बफर के रूप में बी/एस आकार का 5.0 ± 1.5% सीमा लागू करने पर, आरआरई बी/एस के 6.0 ± 1.5% की सीमा में थी। इसके विरुद्ध एआरई बी/एस आकार के 6.91% पर थी। तदनुसार, आरआरई की ऊपरी सीमा यानि 7.5% पर, निवल आय से ₹ 44,862 करोड़ की अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता होगी, वहीं आरआरई की निचली सीमा (यानि 4.5%) पर, संचयी निधि से आय में ₹ 1,83,901 करोड़ की राशि वापस लिखी जाएगी।

4.30 पिछले पांच वर्षों में जोखिम प्रावधान और अधिशेष अंतरण पर प्रस्तावित सिफारिशों के प्रभाव को **अनुबंध V** में दिया गया है।

5 अनुशंसाओं का सारांश

5.1 बाजार जोखिम के लिए जोखिम पैरामीटरीकरण

- एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है, जिसमें बाजार जोखिम बफर आवश्यकता की गणना करते समय, ऑन-बी/एस पोर्टफोलियो के साथ-साथ ऑफ-बैलेंस शीट पोर्टफोलियो पर भी विचार किया जाता है।

  (पैरा 4.6)

- केन्द्रीय बोर्ड को किसी भी सुदृढ़ता स्तर पर बाजार जोखिम बफर्स को ईएस की 99.5 प्रतिशत सी.एल. तथा ईएस की 97.5 प्रतिशत सी.एल. की सीमा के भीतर बनाए रखने के लिए लचीलापन प्रदान किया गया है।

  (पैरा 4.10)

- **कार्यप्रणाली में वृद्धि:** मूल्य प्रतिफल के वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स (जिसका उपयोग ईएस की गणना के लिए किया जाता है) की गणना पूर्व और पश्च-गुणात्मक कारकों का उपयोग करके प्रतिफल के वेरियंस-कोवेरियंस मैट्रिक्स को परिवर्तित करके अनुमान लगाने की मौजूदा प्रक्रिया के बजाय, सीधे मूल्य प्रतिफल से की जा सकती है।

  (पैरा 4.7)

- **लघु मुद्राओं का समावेशन:** बाजार जोखिम बफर्स की आवश्यकता में लघु मुद्राओं में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के निवेश पर भी विचार किया जा सकता है।

  (पैरा 4.8)

5.2 ऋण जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए प्रावधान – क्रेडिट जोखिम (ओएफबीएस एक्सपोजर के कारण सहित) और परिचालन जोखिम के लिए आर्थिक पूंजी को पहले की तरह बनाए रखा जा सकता है।

(पैरा 4.12)

5.3 मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता जोखिम के लिए प्रावधानीकरण – मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता जोखिमों के लिए बफर आवश्यकता हेतु लागू सीमा को 5.0 ± 1.5% (वर्तमान ईसीएफ के तहत 4.5% - 5.5% की सीमा के मुकाबले) तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य मौजूदा समष्टि आर्थिक

और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए बफर का निर्धारण करने में केंद्रीय बोर्ड को पर्याप्त लचीलापन प्रदान करना है, साथ ही सरकार को अधिशेष का हस्तांतरण भी सुगम बनाना है ।

(पैरा 4.26)

5.4 रिक्वायरमेंट ऑफ रियलाइज्ड इक्विटी (आरआरई) - प्राप्त इक्विटि (आरआरई) की आवश्यकता का आकलन केंद्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित सुदृढ़ता स्तर पर बाजार जोखिम बफर की आवश्यकता की तुलना में आकस्मिक जोखिम बफर (CRB) और पुनर्मूल्यन जमाशेष में कमी अगर कोई हो की अपेक्षा को पूर्ण करने हेतु किया जाएगा। आकस्मिक जोखिम बफर (CRB) मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता जोखिमों, ऋण जोखिम और परिचालन जोखिमों को समाहित करेगा, जैसा कि पिछले पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है। इसे तलन पत्र (B/S) के आकार के 6.0 ± 1.5% की सीमा में बनाए रखा जाएगा (वर्तमान आर्थिक पूंजी ढांचा के तहत बी/एस के 5.5 प्रतिशत के निम्न स्तर के विरुद्ध 6.5% के स्तर पर) । आरआरई की ऊपरी सीमा की गणना मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता जोखिमों के लिए बफर की ऊपरी सीमा बी/एस के आकार के 6.5% मानते हुए एवं आरआरई की निचली सीमा की गणना मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता जोखिमों के लिए बफर की निचली सीमा बी/एस के आकार का 3.5% के आधार पर की जाएगी।

(पैरा 4.27)

5.5 उपलब्ध आर्थिक पूंजी/जोखिम बफर - रिक्वायरमेंट ऑफ रियलाइज्ड इक्विटी को विशेष रूप से बैंक की पूंजी, रिजर्व फंड, आकस्मिकता निधि और परिसंपत्ति विकास निधि से युक्त उपलब्ध प्राप्त इक्विटी द्वारा पूरा किया जाएगा। एकतरफा विनिमय का मौजूदा सिद्धांत (जिसका अर्थ है कि पुनर्मूल्यांकन शेष बाजार जोखिम के अलावा अन्य जोखिमों के लिए प्रावधान नहीं कर सकता है, जबकि प्राप्त इक्विटी बाजार जोखिम सहित सभी जोखिमों के लिए प्रावधान कर सकती है) आरबीआई की आर्थिक पूंजी के दोहरे घटकों पर लागू होता रहेगा।

5.6 अधिशेष वितरण नीति (एसडीपी)

एसडीपी के तहत पुनर्मूल्यन जमाशेष को अवितरणीय माना जाएगा। इसके साथ ही, वांछित स्तर तक आरबीआई के वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करने को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि केवल शेष निवल आय सरकार को अंतरित की जा सके। एसडीपी उपलब्ध प्राप्त इक्विटी (ARE) (जिसमें पूंजी, आरक्षित निधि, संचयी निधि एवं परिसंपत्ति विकास निधि शामिल हैं) की तुलना इसकी आवश्यकता (आरआरई) से की जाएगी, तथा निम्नलिखित आधार पर निवल आय का आवंटन किया जाएगा:

(**I)** संपूर्ण निवल आय सरकार को अंतरित की जा सकती है अगर आरबीआई का एआरई आरआरई के उच्च स्तर से अधिक या इसके समान हो।

(**ii)** अगर**,** एआरई आरआरई के ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के तहत रहता है**,** केंद्रीय बोर्ड उस स्तर का निर्धारण कर सकता है जहां एआरई को अनुरक्षित किया जा सकता है।(आरआरई के ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के अधिन) और तदनुसार जोखिम प्रावधान और अधिशेष वितरण किया जा सकता है।

(iii) यदि एआरई आरआरई के निचले सीमा से कम है, तो आरबीआई द्वारा उचित जोखिम प्रावधान किए जा सकते हैं ताकि एआरई को कम से कम इसके निचले सीमा तक लाया जा सके और केवल शेष निवल आय (यदि कोई हो) सरकार को अंतरित की जा सकती है। यदि निवल आय एआरई को आरआरई के निचले सीमा तक लाने हेतु आवश्यक जोखिम प्रावधान से कम है, तो सरकार को कोई अधिशेष स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है और बैंक अगले वर्षों में सरकार को अधिशेष स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने से पहले अपने एआरई को कम से कम आरआरई के निचले सीमा तक बढ़ाने का प्रयास कर सकता है।

(iv) अप्राप्त पुनर्मूल्यन जमाशेष का कोई वितरण नहीं किया जाएगा।

(v) अधिशेष प्राप्त इक्विटि, अर्थात्, आरआरई से अधिक एआरई, को वार्षिक खातों के अंतिमकरण के समय आकस्मिकता निधि (CF) से आय में वापस लिखा जाएगा।

(पैरा 4.28)

संदर्भ

1.इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 53, (48) (2018) – 'पैरेनोइया ऑर प्रूडेन्स? हाउ मच कैपिटल इज़ इनफ फॉर द आरबीआई?' लेखक: आनंद, अभिषेक; फेलमैन, जोश; शर्मा, नवनीराज; एवं सुब्रमणियन, अरविंद (2018)

2.चेक नेशनल बैंक वर्किंग पेपर्स, सीरीज़ 3 (2012) – 'डज सेंट्रल बैंक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मैटर फॉर इंफ्लेशन? एन एम्पिरिकल एनालिसिस' लेखक: बेनेक्का, एस.; होलुब, टी.; कडलचाकोवा, एन.एल.; एवं कुबिकोवा, आई.

3.सीईपीआर डिस्कशन पेपर्स नं. 6827, लंदन, सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च (2008) – 'कैन सेंट्रल बैंक्स गो ब्रोक?' लेखक: ब्युटर, विलेम एच.

https://cepr.org/active/publications/discussion_papers/dp.php?dpno=6827

4.बैंक ऑफ इंग्लैंड स्टाफ वर्किंग पेपर नं. 1,069 (अप्रैल 2024) – 'सेंट्रल बैंक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीकैपिटलाइजेशन' लेखक: जेमी लॉन्ग एवं पॉल फिशर बैंक ऑफ इंग्लैंड से पुनर्प्राप्त

5.आईएमएफ वर्किंग पेपर WP/24/35 (फरवरी 2024) – 'ए न्यू मेज़र ऑफ सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस' लेखक: टोबायस एड्रियन, अशरफ खान एवं लेव मेनैंड आईएमएफ़ के वैबसाइट से पुनर्प्राप्त: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2024/02/23/A-New-Measure-of-Central-Bank-Independence-545270

6.क्लास नॉट का भाषण, अध्यक्ष, दे नेदरलैंड्सचे बैंक (अप्रैल 2024) – 'सेंट्रल बैंक कैपिटल – ऑफ कैपिटल इम्पॉर्टेंस से पुन: प्राप्त https://www.bis.org/review/r240415d.htm

अनुबंध ।

अधिशेष वितरण नीति, मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचा और चुनिंदा केंद्रीय बैंकों का लेखांकन मानक

केंद्रीय बैंक	अधिशेष वितरण नीति,
बैंक ऑफ इंग्लैंड	बैंक की पूंजी का ढांचा बैंक ऑफ इंग्लैंड (बीओई) और एचएम ट्रेजरी के बीच सहमति ज्ञापन[17] के आधार पर तय किया गया है। पूंजी ढांचा पर लागू होने वाला मेट्रिक बैंक की हानि अवशोषित करने वाली पूंजी है। एलएसी बैंक की कुल पूंजी में से उन पूंजी के घटक को कम करना है जो हानियों को अवशोषित नहीं कर सकते। पूंजी ढांचे के पैरामीटर्स में एक लक्ष्य, न्यूनतम स्तर और अधिकतम स्तर शामिल हैं। परिकल्पित परिदृश्य निम्नलिखित हैं: यदि, एलएसी अगली अवधि के लिए लक्ष्य से अधिक लेकिन अधिकतम स्तर से कम है, तो निवल लाभ का 50% ट्रेजरी को लाभांश के रूप में दिया जाएगा। यदि मैट्रिक्स अधिकतम स्तर से अधिक है, तो निवल आय का 100% ट्रेजरी को लाभांश के रूप में दिया जाएगा। यदि मैट्रिक्स न्यूनतम स्तर से कम है, तो बैंक को ट्रेजरी से पूंजी प्राप्त होगी ताकि पूंजी लक्ष्य तक वापस पहुँच सके।
रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया	निवल लाभ का सांविधिक तौर पर निम्न प्रकार से कार्रवाई की जाती है[18] : • अप्राप्त लाभ (या हानि): वितरण के लिए उपलब्ध नहीं हैं और इन्हें "अप्राप्त लाभ आरक्षित निधि" में स्थानांतरित (अवशोषित) कर दिया जाता है। इस स्थानांतरण के बाद शेष निवल लाभ वितरण के लिए उपलब्ध होता है। • मंत्रालय बैंक बोर्ड से परामर्श के बाद वितरण योग्य आय से रिज़र्व बैंक रिज़र्व फंड (RBRF), बैंक की सामान्य निधि और आकस्मिकताओं के लिए आवंटित राशि तय करता है। • वितरण योग्य आय का शेष भाग "कॉमनवैल्थ" को लाभांश के रूप में देय होता है। पूंजी और सांविधिक निधियाँ अप्राप्त लाभ निधि से अलग होती है।
रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूज़लैंड	अधिनियम[19] के अनुसार, बैंक को वित्तीय जोखिम प्रबंधन[20] के विवरण में निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप सरकार को अनुशंसित राशि तय करनी होगी। यह वार्षिक रूप से जारी किया गया विवरण, पूंजी के न्यूनतम स्तर (लक्ष्य पूंजी स्तर या 'टीसीएल') को निर्दिष्ट

[17] सहमति ज्ञापन: एचएम ट्रेज़री और बैंक ऑफ इंग्लैंड के बीच वित्तीय संबंध
[18] रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया (2024) की वार्षिक रिपोर्ट
[19] रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूज़लैंड अधिनियम 2021 का अनुभाग 213
[20] वित्तीय जोखिम प्रबंधन का विवरण (रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूज़लैंड के वार्षिक रिपोर्ट (2024)के पृष्ट 59)

केंद्रीय बैंक	**अधिशेष वितरण नीति,**
	करता है, जिसे संभावित वित्तीय जोखिमों को समाहित करने के लिए पर्याप्त माना जाता है। 2. सबसे महत्वपूर्ण जोखिमों पर वित्तीय हानि मॉडलिंग पूरी की जाती है, और जोखिम सीमाएं यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित की जाती हैं कि बैंक का तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) गंभीर लेकिन संभावित तनावग्रस्त बाजार स्थितियों में भी सुदृढ़ बने रहे (ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर)।
बैंक ऑफ कैनाडा	अधिनियम के अनुसार[21], प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक के परिचालन से उपलब्ध अधिशेष (सरप्लस) की राशि निम्नलिखित तरीके से तय की जाएगी: • यदि बैंक की आरक्षित निधि प्रदत्त पूंजी से कम है: अधिशेष का एक तिहाई हिस्सा आरक्षित निधि में आवंटित किया जाएगा और शेष राशि केंद्र सरकार को भुगतान के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। • यदि आरक्षित निधि प्रदत्त पूंजी से कम है, : अधिशेष का पांचवां हिस्सा आरक्षित निधि में आवंटित किया जाएगा, जब तक कि आरक्षित निधि की राशि प्रदत्त पूंजी के पांच गुना तक नहीं पहुंच जाती, और शेष राशि केंद्र सरकार को भुगतान के लिए कारवाई जाएगी। 2. इस अधिनियम[22] में विशेष आरक्षित निधि के निर्माण का भी प्रावधान है, जिसमें बैंक के निवेश पोर्टफोलियो के उचित मूल्य (फेयर वैल्यू) में परिवर्तन के कारण हुई अप्राप्त मूल्यहानि की भरपाई के लिए अधिशेष से निधि का आवंटन किया जाता है।
स्विस नेशनल बैंक (एसएनबी)	अधिनियम के अनुसार[23], स्विस नेशनल बैंक को ऐसे प्रावधान करने होते हैं जो मौद्रिक नीति के लिए आवश्यक स्तर पर मुद्रा सुरक्षित निधि को बनाए रखने की अनुमति देते हैं। शेष आय को वितरण योग्य लाभ माना जाता है। वर्तमान में, न्यूनतम वार्षिक आबंटन का प्रावधान लाभ का **10%[24]** है।
बैंक ऑफ थायलैंड (बीओटी)	अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार[25], निवल लाभ के 25% को आरक्षित निधि के रूप में रखा जाता है। इस अधिनियम में अन्य विशिष्ट निधियों को भी रखने का प्रावधान किया गया है, जो अनुमोदन के अधीन हैं।

[21] बैंक ऑफ कैनाडा अधिनियम के अनुभाग 27
[22] बैंक ऑफ कैनाडा अधिनियम के अनुभाग 27.1(1)
[23] राष्ट्रीय बैंक अधिनियम,2003 के अनुच्छेद 30
[24] प्रेस विज्ञप्ति: स्विस नैशनल बैंक के वर्ष 2024 का वार्षिक परिणाम (3 मार्च 2025)
[25] बैंक ऑफ थायलैंड अधिनियम का अनुभाग 14

केंद्रीय बैंक	अधिशेष वितरण नीति,
	2. बैंक ऑफ थाईलैंड (BOT) की अवधि के समापन के दौरान संपत्तियों और देनदारियों के पुनर्मूल्यन के परिणामस्वरूप अप्राप्त लाभ या हानि को इक्विटि अनुभाग के तहत संपत्तियों और देनदारियों के पुनर्मूल्यन आरक्षित[26] निधि में प्रस्तुत किए जाते हैं।
बैंक नेगरा मलेशिया	अधिनियम के अनुसार[27], अधिशेष को निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्थानांतरित किया जाएगा: यदि सामान्य आरक्षित निधि बैंक की पूंजी से कम है, तो सम्पूर्ण निवल लाभ सामान्य आरक्षित निधि में क्रेडिट किया जाएगा। यदि किसी वर्ष के अंत में सामान्य आरक्षित निधि बैंक की पूंजी से कम नहीं है, लेकिन बैंक की पूंजी के दोगुने से कम है, तो निवल लाभ का कम से कम **30%** सामान्य आरक्षित निधि में क्रेडिट किया जाएगा। जो निवल लाभ आरक्षित निधि के रूप में स्थानांतरित नहीं किया जाता है, वह सरकार को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। लाभ-हानि विवरण[28] में आय केवल प्राप्त पूंजी लाभ या हानि को शामिल करता है। अप्राप्त लाभ/हानि जोखिम आरक्षित निधि का हिस्सा हैं और सामान्य आरक्षित निधि का हिस्सा नहीं हैं।
बैंक ऑफ कोरिया	अधिनियम के तहत[29], बैंक को वर्ष के लिए अर्जित निवल लाभ का **30%** अपनी आरक्षित निधि में अंतरण करने की अनुमति दी गई है। सरकार के अनुमोदन से अतिरिक्त निवल लाभ को एक विशेष आरक्षित निधि में अंतरण के लिए संरक्षित रखा जा सकता है। शेष राशि को सरकार को अंतरित किया जाएगा।
फिलीपींस	वर्तमान में, केंद्रीय बैंक के निवल लाभ का 50% सरकार को लाभांश के रूप में वितरित किया जाता है। अप्राप्त लाभ या हानि को पुनर्मूल्यन शेष आरक्षित निधि खाते में दर्ज किया जाता है और उसका लेखांकन लाभ एवं हानि खाते[30] में नहीं किया जाता है।

[26] बैंक ऑफ थायलैंड का वार्षिक वित्तीय विवरण (2023)
[27] केंद्रीय बैंक ऑफ मलेशिया अधिनियम का अनुभाग 2009
[28] बैंक नेगरा मलेशिया का वार्षिक रिपोर्ट (2023)
[29] बैंक ऑफ कोरिया अधिनियम का अनुछेद 99
[30] फिलीपींस का वित्तीय विवरण (2022 और 2023)

अनुबंध II

केंद्रीय बैंकों की लाभप्रदत्ता और इक्विटि – समष्टि अर्थव्यवस्था परिवेश का प्रभाव

नीचे सारणी ए1 में उन केंद्रीय बैंकों के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं जिन्हें हाल के वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से 2023-24) में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के दौरान प्रतिकूल लाभप्रदता और इक्विटी जैसी स्थिति का अनुभव करना पड़ा।

सारणी ए1: केंद्रीय बैंक जिनका हाल के वर्षों में लाभप्रदत्ता और इक्विटि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा

केंद्रीय बैंक	नकारात्मक निवल आय	मूल्यांकन हानि जिसके परिणामस्वरूप निवल हानि	कुल नकारात्मक इक्विटि	शून्य/ नकारात्मक प्राप्त इक्विटि
फेडरल रिज़र्व बैंक	✓		✓	
Deutsche Bundesbank	✓			✓
स्विस नेशनल बैंक	✓			
बैंक ऑफ कनाडा	✓		✓	
रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया	✓	✓	✓	
चेक नेशनल बैंक	✓	✓	✓	
मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर	✓	✓		✓
नेरोडोवी बैंक पोलस्की (पोलैंड))	✓	✓	✓	
रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूजिलेंड		✓		
स्वेर्गेस रिक्स बैंक				✓

अनुबंध III

मूल्य रिटर्न से वैरिएंस कोवेरियन्स मैट्रिक्स की गणना करने का तर्क और बाजार जोखिम के लिए कार्यप्रणाली में बदलाव का आर्थिक पूंजी अपेक्षा पर प्रभाव

वर्तमान मैटलैब आधारित बाजार जोखिम इंजन पैरामेट्रिक वैल्यू एट रिस्क (VaR)/एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल (ES) की गणना करते समय, विभिन्न मुद्राओं में निर्दिष्ट परिपक्वता के मूल्य रिटर्न के वेरियन्स -कोवेरियंस मैट्रिक्स का अनुमान प्रतिफल रिटर्न के वेरियन्स -कोवेरियंस मैट्रिक्स को पूर्व और उत्तर मल्टीप्लिकेटिव कारकों द्वारा रूपांतरित करके लगाता है। मूल्य रिटर्न के वेरियन्स -कोवेरियंस मैट्रिक्स की आवश्यकता पोर्टफोलियो के वेरियन्स और निर्दिष्ट विश्वास स्तर (CL) पर वीएआर/ ईएस की गणना के लिए की जाती है। पूर्व और उत्तर मल्टीप्लिकेटिव कारक एक डायग्नल मैट्रिक्स है, जो संबंधित मुद्रा और परिपक्वता के लिए संशोधित अवधि और संदर्भ तिथि पर प्रतिफल के गुणनफल से प्राप्त होता है।

2. जबकि उपर्युक्त अनुमान के अन्यथा कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं देखा गया, 2021-2022 की एक घटना में EUR शून्य कूपन प्रतिफल शून्य के करीब था और नकारात्मक से सकारात्मक अवस्था में संक्रमण कर रहा था, जिसके कारण प्रतिफल रिटर्न के उच्च मानों (चूंकि हर शून्य के करीब था) के कारण परिकल्पित वेरियन्स का असामान्य रूप से उच्च मान प्राप्त हुआ। यह असंतुलन पूर्व और उत्तर मल्टीप्लिकेटिव कारकों में समायोजित नहीं किया जा रहा था, जो संदर्भ तिथि पर प्रचलित प्रतिफल के स्थिर मान को मानते हैं।

3. उपर्युक्त समस्या, जो पूर्व और उत्तर मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स में स्थिर प्रतिफल रिटर्न के वेरियन्स -कोवेरियंस मैट्रिक्स में चलती हुई प्रतिफल दरों के उपयोग के कारण उत्पन्न होती है, को दूर किया जा सकता है, यदि मूल्य रिटर्न के वैरिएंस कोवेरियन्स मैट्रिक्स की गणना सीधे शून्य कूपन प्रतिफलों से शून्य कूपन बांड के मूल्य की निरंतर चक्रवृद्धि के माध्यम से व्युत्पन्न करके की जाए।

4. हालांकि उपर्युक्त मुद्दे ने समीक्षा अवधि के दौरान परिकलित बाजार जोखिम बफर्स की आवश्यकता पर कोई प्रभाव नहीं डाला, क्योंकि स्वीकृत ईसीएफ के तहत संदर्भ तिथि (तनाव अवधि) 30 अगस्त, 2013 है, प्रस्तावित पद्धति (सीधे वेरियन्स -कोवेरियंस मैट्रिक्स की गणना करने) को अपनाने से सांख्यिकीय रूप से सुसंगतता सुनिश्चित होगी और यह भी सुनिश्चित होगा कि यदि संदर्भ अवधि अगस्त 2013 से 2022 और उसके बाद में परिवर्तित होती है, तो बाजार जोखिम के आकलन में कोई अनावश्यक असंगति न दिखाई दे। बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन के लिए भी इसी पद्धति का पालन किया जाता है।

अनुबंध IV

प्रस्तावित और मौजूदा ईसीएफ़ के तहत बाज़ार जोखिम पर जोखिम बफर की तुलना

पिछले पाँच वित्तीय वर्ष के लिए मौजूदा ईसीएफ़ के तहत अपेक्षित बाजार बफर की तुलना प्रस्तावित सिफ़ारिशों के अनुसार बाजार जोखिम के लिए अपेक्षित जोखिम बफर सारणी ए 2 में दी गयी है।

सारणी ए2: बाजार जोखिम के लिए बफर की अपेक्षा (मौजूदा की तुलना में अपेक्षा)(करोड़ में)						
	जून 2020	**मार्च 2021**	**मार्च 2022**	**मार्च 2023**	**मार्च 2024**	**मार्च 2025**
तुलन पत्र का आकार	53,34,793	57,07,669	61,90,302	63,44,756	70,47,703	76,25,422
उपलब्ध आरबी	11,24,390	9,24,455	9,34,544	11,26,088	11,30,964	13,26,793
मूल्य रिटर्न का उपयोग करके वेरियन्स -कोवेरियंस मैट्रिक्स की गणना के कारण अतिरिक्त प्रभाव						
ES 97.5% CL	8,585	11,705	10,201	16,547	23,577	23,960
ES 98.0% CL	8,890	12,121	10,565	17,136	24,415	24,811
ES 98.5% CL	9,271	12,640	11,018	17,870	25,461	25,875
ES 99.0% CL	9,787	13,344	11,631	18,865	26,879	27,315
ES 99.5% CL	10,619	14,479	12,620	20,469	29,165	29,639
लघु मुद्रा को शामिल करने के कारण अतिरिक्त प्रभाव						
ES 97.5% CL	3,585	2,688	2,298	10,863	18,694	40,712
ES 98.0% CL	3,712	2,784	2,379	11,249	19,358	42,159
ES 98.5% CL	3,871	2,903	2,481	11,732	20,188	43,966
ES 99.0% CL	4,087	3,065	2,619	12,384	21,312	46,414
ES 99.5% CL	4,434	3,325	2,842	13,438	23,125	50,362
ओएफ़बीएस एक्स्पोज़र के कारण अतिरिक्त प्रभाव						
ES 97.5% CL	2,720	1,13,386	1,02,288	40,812	(2,366)	(1,35,065)
ES 98.0% CL	2,816	1,17,416	1,05,924	42,262	(2,450)	(1,39,867)
ES 98.5% CL	2,937	1,22,450	1,10,465	44,074	(2,555)	(1,45,863)
ES 99.0% CL	3,100	1,29,266	1,16,614	46,527	(2,697)	(1,53,981)
ES 99.5% CL	3,364	1,40,263	1,26,534	50,485	(2,927)	(1,67,081)
प्रस्तावित सिफ़ारिशों के अनुसार बफर की कुल अपेक्षा						
ES 97.5% CL	8,01,190	9,96,751	10,38,430	9,98,565	10,81,872	10,30,545
ES 98.0% CL	8,29,670	10,32,183	10,75,344	10,34,062	11,20,331	10,67,178
ES 98.5% CL	8,65,240	10,76,435	11,21,446	10,78,394	11,68,361	11,12,930
ES 99.0% CL	9,13,397	11,36,347	11,83,863	11,38,415	12,33,390	11,74,873

ES 99.5% CL	9,91,101	12,33,018	12,84,576	12,35,262	13,38,316	12,74,822
बफर की अपेक्षा में परिवर्तन (मौजूदा की तुलना में प्रस्तावित)						
ES 97.5% - 99.5% CL	14,889 to 18,418	1,27,779 to 1,58,067	1,14,787 to 1,41,996	68,222 to 84,393	39,904 to 49,363	(-) 87,080 to (-) 70,394
ES 97.5% - 99.5% CL	0.28% to 0.35%	2.24% to 2.77%	1.85% to 2.29%	1.08% to 1.33%	0.57% to 0.70%	(-) 1.14% to (-) 0.92%

अनुबंध V

जोखिम प्रावधान और अधिशेष अंतरण पर प्रस्तावित सिफ़ारिशों का प्रभाव

प्रस्तावित सिफारिशों का जोखिम प्रावधान और हस्तांतरणीय अधिशेष पर प्रभाव, यह ध्यान में रखते हुए कि मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता जोखिमों के लिए बफर्स को प्रस्तावित सीमा (5.0 ± 1.5%) में बनाए रखा जाएगा, नीचे सारणी ए3 में दिया गया है।

सारणी ए3: प्रस्तावित सिफ़ारिशों का जोखिम प्रावधान पर प्रभाव (करोड़)						
	जून 2020	**मार्च 2021**	**मार्च 2022**	**मार्च 2023**	**मार्च 2024**	**मार्च 2025[31]**
तुलन पत्र का आकार	53,34,793	57,07,669	61,90,302	63,44,756	70,47,703	76,25,422
स्तर जिसपर प्राप्त इक्विटि अनुरक्षित है	5.50%	5.50%	5.50%	6.00%	6.50%	-
जोखिम प्रावधान	73,615	20,710	1,14,667	1,30,876	42,820	-
अधिशेष अंतरण	57,128	99,122	30,307	87,416	2,10,874	-
प्रस्तावित रूपरेखा का घटक वार अतिरिक्त जोखिम प्रावधान का प्रभाव						
सीआरबी – प्रस्तावित उच्च सीमा (7.5%)	1,06,696	1,14,153	1,23,806	95,171	70,477	44,862
सीआरबी – प्रस्तावित निम्न सीमा (4.5%)	(-) 53,348	(-) 57,077	(-) 61,903	(-) 95,171	(-) 1,40,954	(-) 1,83,901
बाजार जोखिम ईएस 97.5% सीएल	0	72,296	1,03,886	0	0	0
बाजार जोखिम ईएस 99.5% सीएल	0	3,08,563	3,50,032	1,09,174	2,07,352	0
ईएस 97.5% पर बाजार जोखिम सुदृढ़ता को ध्यान में रखते हुए संचयी अतिरिक्त जोखिम प्रावधान)						
सीआरबी – प्रस्तावित उच्च सीमा	1,06,696	1,86,449	2,27,692	95,171	70,477	44,862
सीआरबी – प्रस्तावित निम्न सीमा	(-) 53,348	15,219	41,983	(-) 95,171	(-) 1,40,954	(-) 1,83,901
ईएस 99.5% पर बाजार जोखिम सुदृढ़ता को ध्यान में रखते हुए संचयी अतिरिक्त जोखिम प्रावधान)						
सीआरबी – प्रस्तावित उच्च सीमा	1,06,696	4,22,716	4,73,838	2,04,345	2,77,830	44,862
सीआरबी – प्रस्तावित निम्न सीमा	(-) 53,348	2,51,486	2,88,129	14,002	66,398	(-) 1,83,901

[31] 31 मार्च, 2025 के लिए अतिरिक्त जोखिम प्रावधान, जोखिम प्रावधानों से पहले एआरई पर विचार करने के बाद अनुमानित (6.91%)